सामाजार्थिक समीक्षा
जनपद – अल्मोड़ा
वर्ष 2014–2015

उत्तराखण्ड राज्य

अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय
विकास भवन अल्मोड़ा
(उत्तराखण्ड)
दूरभाष/फैक्सः 05962–230321
Email: dstoalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड का मानचित्र

जनपद का मानचित्र

N
CHAMOLI
BAGESHWAR
PITHORAGARH
PAURI GARHWAL
NAINITAL
CHAMPAWAT
INDIAMAPSSITE.COM
Khira
Chaukuri
Nyauhi
Baijnath
Chakargaon
Ganai
Bakhli
GARUR
Matkhani
Patharkhola
Tamadhaun
Chaukhutia
Dunagiri
Kausani
Oleni
Bhakura
Bairti
Mala
Syalde
Tall Mamari
Mansi
Phaliyanti
Jhagru Khata
Dwarahat
Pali
Binta
Dyari
Mirai Malli
Takula
Naikana
Parelia
Ratkhal
Asgoli
Ubhyari
Jainal
Bhainskhet
Binsar
Kandri Chhina
Ayarpani
BHIKIYASAIN
Jalali
Gagas
Dhaul Chhina
Munrasidh
Majkhali
Naini
Sainmanur
Badhan
Kaparkhan
Bhiyari
Bare
Jageshwar
RANIKHET
Hawalbagh
Inlau
ALMORA
Dhaula Devi
Danda
Sialkot
Banthok
Chaubattia
Davel
Sauni
Nangarkhan
Ramganga
Sitlakhet
Dhamas
Danya
Dewarpani
Sarju
Dialekh
Duram
Mohan
Kwarab
Jalna
Chaudi Ghati
Dhyari
Kumaria
Shiva Temple
Chiyanaula
Tota Am
Lamgara
Kapleshwar
Bhujan
Bodyar
Chapar
Sharphatak
Sunari
Gazar
Mornaula
Map Not To Scale
Copyright @ 2011 indiamapssite.com
INTERNATIONAL BOUN.
STATE HIGHWAY
OTHER TOWN
STATE BOUN.
OTHER ROAD
HIGHWAY NO
DISTRICT BOUN.
RAILWAY
RIVER
NATIONAL HIGHWAY
TOURIST PLACE
NATIONAL PARK
TALUK
DISTRICT HQTRS.
AERODROME
LEGEND

अध्याय–1
जनपद का ऐतिहासिक परिचय एवं भौगोलिक स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य के मध्य हिमालय की गोद में स्थित कुमाऊँ भौगौलिक, ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से भारत के भू–भाग का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखण्ड, केदारखण्ड व मानस खण्ड में विभक्त है। जहॉ केदारखण्ड में वर्तमान गढवाल सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जनपद अल्मोड़ा के उत्तर में बागेश्वर, पूरब में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमायें हैं। कोसी एवं सुयाल नदी के मध्य स्थित काषायः पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित विष्णु क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा की स्थापना के संदर्भ में इतिहासकारों के मत में विभिन्नता है। इतिहासकार ई0 टी0 एटकिन्सन के अनुसार चन्दवंष के 43वें राजा भीष्मचन्द ने सन् 1530 ई0 में अल्मोड़ा नगर बसाया था। तथा 1563 ई0 में राजा बालोचन्द ने चम्पावत से राजधानी स्थानान्तरित कर आल्मोड़ा को अपनी राजाधानी बनाया। ब्रिटिष शासनकाल में यहॉ पर छावनी, सर्किट हाउस, गिरजाघर आदि बने। सन् 1864 में स्थापित अल्मोड़ा नगर पालिका को उत्तराखण्ड की सबसे प्राचीन नगर पालिका होने का गौरव प्राप्त है। अल्मोड़ा नगर के अन्तर्गत फोर्टमायरा किला, लालाबाजार तथा नंन्दादेवी का प्रसिद्ध मंदिर दर्षनीय है। अल्मोड़ा नगर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का केन्द्र रहा है। यहॉ प्रख्यात संगीतकार और नृत्य सम्राट उदयषॅकर नाट्यषाला चलाया करते थे। वर्तमान में उदयषंकर राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य अकादमी की स्थापना फलसीमा में की गई है। अल्मोड़ा नगर के आसपास, चितई मंदिर, कसारदेवी मंदिर, ब्राइट एंड कार्नर आदि पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं।

इस जनपद का कुमाऊँ मण्डल में चन्द्रवंशीय राजाओं की राजधानी होने के कारण, अपनी प्राचीन परम्पराओं तथा संस्कृति के लिए एक विशेष स्थान है। अल्मोड़ा में चंद राजधानी की स्थापना के साथ समाज के विविध वर्गों के लोग यहॉ बसते गये। धार्मिक प्रवृति के होने से चन्द्र राजाओं ने कई धार्मिक उपासना केन्द्र यहॉ स्थापित किये थे। यहॉ की सांस्कृतिक उपलब्धि में अवरोध सन् 1744 में आया, जब रोहिला आक्रमण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण स्थलों को समाप्त करने के प्रयास हुये। सन् 1815 में यह क्षेत्र ब्रितानवी शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में जनपद अल्मोड़ा को कुमायॅू कमिश्नरी मुख्यालय बनाया गया था, कालान्तर में कमिश्नरी मुख्यालय को नैनीताल स्थानान्तरित कर दिया गया। देवभूमि हिमालय की संस्कृति में अल्मोड़ा का विशिष्ट स्थान रहा है। यह क्षेत्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज का आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वत मालायें विविध प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अवशेषों के प्रमाणों से भरी हैं। यह जनपद सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी अतीत से लेकर वर्तमान तक अनेक रूपों से विख्यात है तथा अनादि काल से महापुरूषों, सिद्धों एवं साधकों का प्रेरणाश्रोत भी रहा है। जनपद अल्मोड़ा सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये विश्वविख्यात है। गॉधी जी,

रवीन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, एनीबेसेन्ट एवं मीरा बहन जैसे विचारक ब्रूस्टर जैसे चित्रकार, उदयशंकर जैसे सांस्कृतिक कर्मी इसी अल्मोड़ा से प्रभावित हुए।

जनपद का भौगोलिक भू–भाग सिन्धुतल से 750 मीटर से प्रारम्भ होकर 2000 मीटर से ऊपर है। सरयू ,कोसी, रामगंगा, गगास तथा सुयाल यहाॅ की प्रमुख नदियाॅ हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर जिले को मुख्य रूप से दो भागों में बाॅटा जा सकता हैं।

1.पर्वतीय क्षेत्रः–

पर्वतीय क्षेत्र में उच्च पर्वत शिखर, जिनमे डोटियाल (मानिला), मालीखेत (स्याल्दे), भौनखाल (सल्ट), लोधियाखान (ताड़ीखेत), शेर, चौबटिया, स्याहीदेवी, भटकोट, वृद्धजागेश्वर, बिनसर, मोरनौला, गणानाथ, मल्लिका आदि हैं। इस क्षेत्र में घने वन हैं। वनों में सदाबहार व पतझड़वाले वृक्ष पाये जाते है। जिनमें बाॅज, बुराश, उत्तीश ,काफल, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष हैं।

2.नदी घाटी क्षेत्रः–

नदियों के किनारे स्थित घाटी क्षेत्र 600 से 1200 मी0 तक हैं। प्रमुख नदियों में कोसी, सुयाल, पश्चिमी रामगंगा, गगास, पनार आदि हैं। नदियों के किनारे समतल उपजाऊ भूमि को स्थानीय भाषा में सेरा कहा जाता है। इनमें बासुलीसेरा, रावलसेरा, बैराटसेरा, सोमेश्वरसेरा, चनौदासेरा, टूनाकोटसेरा, ईड़ासेरा, कामरसेरा, चौखुटिया व मासीसेरा, देघाट व स्याल्दे के सेरे आदि प्रमुख हैं।

3.भौगोलिक स्थितिः–

जनपद का वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल 3139.00 वर्ग कि0मी0 है। भौगोलिक दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा पश्चिम में लगभग 29 डिग्री एवं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांष तथा 79 डिग्री और 81 डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित हैं, जिसे तीन सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

1. समुद्र तल से 750 मीटर से 1250 मीटर तक का क्षेत्र।
2. समुद्र तल से 1251 मीटर से 1850 मीटर तक का क्षेत्र।
3. समुद्र तल से 1851 मीटर से अधिक ऊॅचाई वाला क्षेत्र।

जनपद का बहुत कम भाग समतल है जो स्थान चोटियों के निकट है उनमें छोटी–छोटी नहरों, गूलों से सिंचाई की जाती है। शेष भाग वर्षा से ही सिंचित होता है जिसमें प्रायः मोटा अनाज बोया जाता है। असिंचित भूमि का अधिकांश भाग रबी फसल हेतु परती छोड दिया जाता है। दूसरी श्रेणी 1251 मीटर से 1850 मीटर तक की ऊॅचाई वाला क्षेत्र जो कि फल उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहाॅ पर सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। तीसरी श्रेणी 1851 मीटर से अधिक ऊॅचाई वाले क्षेत्र है, जहाॅ खेती आदि की कोई सुविधा प्रायः कम ही है तथा वे स्थान केवल पर्यटन एवं साहसिक कार्यो हेतु ही प्रयुक्त हो सकते है। जनपद की प्रमुख नदियों में सरयू , रामगंगा, कोसी, गगास तथा सुयाल नदियाॅ है जिनमें प्रायः वर्षभर पानी कम अथवा अधिक मात्रा में रहता है। नदियों का मुख्यतः उद्गम स्थल 1051 मीटर से अधिक ऊॅचाई वाले क्षेत्र ही है।

4.जलवायु एवं वर्षाः–

जनपद में सभी स्थानों पर जलवायु सामान्य न रहकर विभिन्न ऊँचाईयों पर आधारित है। विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा के अनुसार जनपद अल्मोड़ा का वर्ष 2013–14 का उच्चतम तापमान 23.30 सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 11.70 सेन्टीग्रेट रिकार्ड किया गया। तथा वर्ष 2014 तक जनपद में औसत वर्षा 1174.40 मि0मि0 रिकार्ड की गई।

अध्याय–2
खनिज

जनपद अल्मोड़ा में मुख्यतः स्लेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट आदि खनिज पाये जाते है। अवैधानिक व अनियंत्रित खनन से पर्यावरण संकट व भूस्खलन का अत्यधिक खतरा उत्पन्न होता है। चूना पत्थर, मैग्नेसाइट व स्लेट निजी भूमि में पाया जाता है जिसका खनन स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों से रेता बजरी व पत्थर का खनन वाणिज्यिक कार्यो के उपयोग हेतु किया जाता है।

भूकम्पीय क्षेत्र होने के कारण पर्वतीय जनपदों में खनिज पदार्थों का दोहन करना अति संवेदनशील प्रक्रिया है।

अतः बिना किसी भूगर्भीय सर्वेक्षण के उपरान्त पर्वतीय जनपदों में बहुतायत मात्रा में खनिज पदार्थ होने के बावजूद भी खनिज पदार्थो का दोहन कार्य उचित नहीं है। जनपद में स्थानीय निवासियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लौह, ताम्र का खनन किया जाता रहा है। जनपद के लमगडा विकास खण्ड में ताम्र एवं लौह अयस्क प्राप्त हुए है। जनपद में मैग्नेसाइट, खड़िया, अभ्रक, लिग्नाइट तथा ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। खनिज के रूप में चूना, खड़िया का खनन प्रायः लीज पट्टे पर दिया जाता रहा है।

अध्याय–3
प्रशासनिक ढॉचा

जनपद अल्मोडा में पूर्व में 9 तहसील थी। वर्तमान वर्तमान में 2 तहसील क्रमषः स्याल्दे एवं धौलछीना सृजित की गयी है। तहसील स्याल्दे में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। किन्तु तहसील धौलाछीना में वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। जनपद अन्तर्गत 02 उप तहसील लमगड़ा एवं मछोड़ सृजित की गयी है। उक्त तहसीलों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस प्रकार जनपद अन्तर्गत कुल 11 तहसील (01 तहसील धौलछीना में कार्य प्रारम्भ नही हुआ है) तथा 02 उप तहसीलें है। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा को 11 विकासखण्डों में विभाजित है।

1– ऐसे विकास खण्ड जो एक ही तहसील के क्षेत्रान्तर्गत हैः–

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम जिसके अन्तर्गत पूरा विकास खण्ड आता है।
01	भौसियाछाना	तहसील अल्मोड़ा
02	चौखुटिया	तहसील चौखुटिया

2—ऐसे विकास खण्ड जिनका क्षेत्र एक या अधिक तहसीलों के क्षेत्रान्तर्गत आते है:—

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम जिसके अन्तर्गत आंषिक विकास खण्ड आता है।
01	हवालबाग	तहसील अल्मोड़ा एवं सोमेष्वर।
02	लमगड़ा	तहसील अल्मोड़ा ,जैती, भनोली एवं उप तहसील लमगड़ा।
03	ताकुला	तहसील अल्मोड़ा एवं सोमेष्वर।
04	स्याल्दे	तहसील स्याल्दे एवं सल्ट।
05	सल्ट	तहसील भिकियासैण, सल्ट एव उप तहसील मछोड़
06	ताड़ीखेत	तहसील रानीखेत एवं भिकियासैण
07	द्वाराहाट	तहसील रानीखेत एवं द्वाराहाट
08	भिकियासैण	तहसील ,द्वाराहाट एवं भिकियासैण
09	धौलादेवी	तहसील ,अल्मोड़ा एवं भनोली

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2001 के उपरान्त वर्ष 2003—04 में 06 नई तहसीलों (चौखुटिया, सल्ट, द्वाराहाट, सोमेष्वर, भनोली तथा जैती) का सृजन किया गया है। जनगणना 2011 के उपरान्त तहसील स्याल्दे तथा धौलछीना का सृजन किया गया है तहसील स्याल्दे का सृजन भिकियासैण से विभक्त कर किया गया है। उप तहसील लमगड़ा का सृजन तहसील अल्मोड़ा तथा जैती से विभक्त कर किया गया है। उप तहसील मछोड़ का सृजन तहसील सल्ट से विभक्त कर किया गया है।

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा, छावनी बोर्ड रानीखेत, नगर पंचायत द्वाराहाट तथा छावनी बोर्ड अल्मोड़ा एवं जनगणना षहर खत्याड़ी है आते है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल 2289 ग्राम हैं। कुल ग्राम में 2156 आबाद राजस्व ग्राम, 28 आबाद वन ग्राम एवं 105 गैर आबाद सम्मिलित है। विकासखण्ड की दृष्टि से जनपद में 11 विकासखण्ड है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 5 विकासखण्ड अल्मोड़ा तहसील में, 3 विकासखण्ड रानीखेत तहसील में एवं 3 विकासखण्ड, भिक्यिासैणं तहसील में थे।

जनपद अल्मोडा में 2001 के उपरान्त वर्ष 2003—04 में 6 अन्य नई तहसीलों (चौखुटिया, सल्ट, द्वाराहाट, सोमेश्वर, भनोली तथा जैंती) का भिक्यिासैणं, रानीखेत तथा अल्मोडा तहसील से विभक्त कर सृजन किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत तहसील चौखुटिया में 170 ग्राम, सल्ट में 266 ग्राम, द्वाराहाट में 217 ग्राम, सोमेश्वर में 120 ग्राम, भनोली में 217 ग्राम तथा जयन्ती (जैंती) में 122 ग्राम स्थित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद अल्मोडा में 95 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 1168 ग्राम सभा हैं। इस प्रकार अल्मोड़ा तहसील से सोमेश्वर, जयन्ती (जैंती) एवं भनोली तहसील; रानीखेत तहसील से चौखुटिया एवं द्वाराहाट तथा भिक्यिासैणं तहसील से सल्ट तहसील को विभक्त किया गया है।

जनगणना 2011 के अनुसार अल्मोडा तहसील में 2, जैती में 1, भनोली में 1, सोमेश्वर में 1, रानीखेत में 1, द्वाराहाट में 1, चौखुटिया में 1, भिक्यासैण में 2 तथा सल्ट तहसील मे 1 विकासखण्ड है। जनपद के अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वरूप संबंधी सूचना निम्न तालिका से अवगत हो सकती है:–

सामान्य सूचनाएं

विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम	संबंधित लोक सभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	संबंधित विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	जिला मुख्यालय से विकास खण्ड की दूरी	विकासखण्ड कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी		पुलिस स्टेशन (थाना) संख्या
					नाम	दूरी	
1	2	3	4	5	6	7	8
स्याल्दे	भिकियासैण	03अल्मोडा	49 सल्ट	120	रामनगर	110	0
चौखुटिया	चौखुटिया	03अल्मोड़ा	48 द्वाराहाट	94	रामनगर	125	0
भिकियासैण	भिकियासैण	03अल्मोड़ा	49 सल्ट	105	रामनगर	93	1
ताड़ीखेत	रानीखेत	03अल्मोड़ा	50 रानीखेत	59	रामनगर	89	1
सल्ट	सल्ट	03अल्मोड़ा	49 सल्ट	150	रामनगर	55	0
द्वाराहाट	द्वाराहाट	03अल्मोड़ा	48 द्वाराहाट	75	रामनगर	170	1
ताकुला	सोमेष्वर	03अल्मोड़ा	51 सोमेष्वर	40	काठगोदाम	124	1
भैसियाछाना	अल्मोड़ा	03अल्मोड़ा	53 जागेष्वर	34	काठगोदाम	121	0
हवालबाग	अल्मोड़ा	03अल्मोड़ा	52 अल्मोड़ा	15	काठगोदाम	102	0
लमगडा	जैंती	03अल्मोड़ा	52 अल्मोड़ा	35	काठगोदाम	115	0
धौलादेवी	भनौली	03अल्मोड़ा	52 अल्मोड़ा	50	काठगोदाम	146	0
नगरीय	–	–	–	–	–	–	4
योग	–	–	–	–	–	–	8

अध्याय–4
जनगणना विवरण

जनगणना वर्ष–1981 का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में 16.45 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 21.69 प्रतिशत रहा। जनगणना–1971 में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 1088 थी, जो 1981 की जनगणना अनुसार घटकर 1081 हो गई एवं 1991

की जनगणना के अनुसार बढ़कर 1128 हो गई। वर्ष 1998 में जनपद अल्मोडा की बागेश्वर तहसील को जनपद बागेश्वर में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे जनपद अल्मोडा की जनसंख्या 836617 के स्थान पर 608210 रह गई, उसके अनुसार पुरूषों की संख्या 289767 तथा स्त्रियों की संख्या 318443 रह गई, तथा प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियों की संख्या 1097 रह गई। जनगणना वर्ष–2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या 630567 एवं प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओ की संख्या 1146 थी। वर्ष 2002 में जनपद बागेश्वर से 8 ग्राम स्थानान्तरित होकर जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में जुड़ जाने के कारण वर्तमान में जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि0मी0 हो गया तथा कुल जनसंख्या 632866 हो गयी थी, जिसमें से कुल पुरूषों की संख्या 294984 एवं स्त्रियों की संख्या 337882 थी। तथा प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियों की संख्या 1145 थी। जनगणना वर्ष–2011 के अनुसार जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि0मी0 है, तथा कुल जनसंख्या 622506 है, जिसमें से कुल पुरूषों की संख्या 291081 एवं स्त्रियों की संख्या 331425 है। वर्तमान में प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियों की संख्या 1139 है।

2.1 जनसंख्या घनत्वः–

जनपद अल्मोडा का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष 1996–97 तक 5385 वर्ग कि0मी0 था, किन्तु वर्ष 1997–98 में जनपद बागेश्वर के सृजन के उपरान्त जनपद अल्मोड़ा का क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि0मी0 रह गया। यह भौगोलिक क्षेत्रफल बागेश्वर तहसील के 905 ग्रामों के क्षेत्रफल से घटाने के बाद सर्वेयर जनरल आफ इण्डिया द्वारा सूचित भौगोलिक क्षेत्रफल 5385 से घटाने के बाद निकाला गया है। इसके अनुसार जनपद अल्मोडा का जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 हो गया है जबकि इसके पूर्व अल्मोड़ा/बागेश्वर संयुक्त जनसंख्या घनत्व 155 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 था।

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद का जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 हो गया था। वर्ष 2002 में जनपद बागेश्वर से 8 ग्राम स्थानान्तरित होकर जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में जुड़ जाने के कारण जनपद का जनसंख्या घनत्व 202 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 रह गया था।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार वर्तमान में जिला अल्मोड़ा का जनसंख्या घनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 हो गया है।

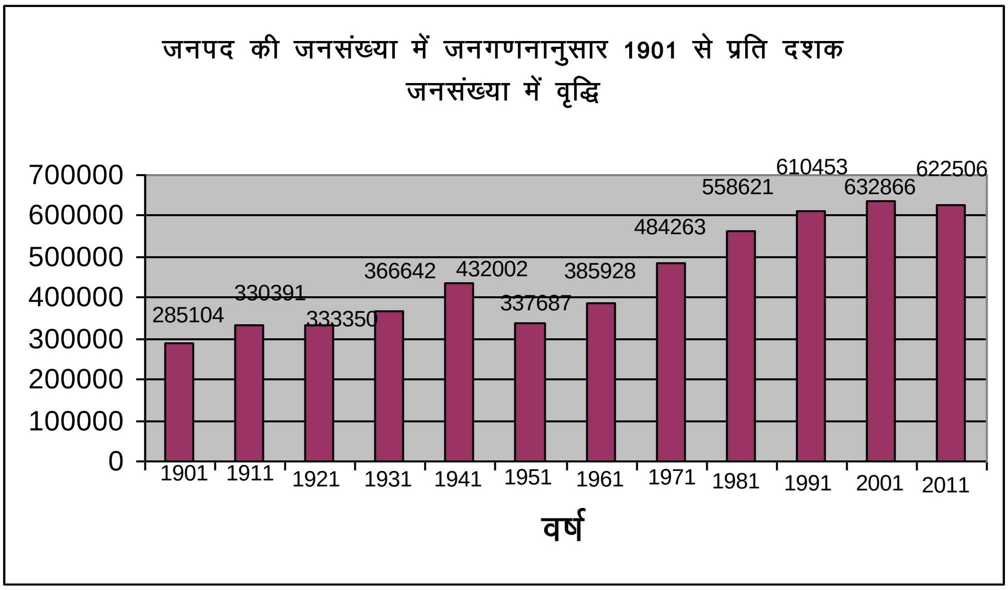

2 ग्रामीण व नगरीय जनसंख्याः—

वर्ष 1991 में जनपद अल्मोडा की ग्रामीण जनसंख्या 782130 व्यक्ति तथा नगरीय 53507 व्यक्ति थी। वर्ष 1997—98 में जनपद बागेश्वर के सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा की ग्रामीण जनसंख्या 562718 व्यक्ति तथा नगरीय जनसंख्या 47735 व्यक्ति हो गयी। जनगणना 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः 578361 एवं 54505 व्यक्ति थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः 560192 एवं 62314 व्यक्ति है।

3 अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्याः—

जनगणना वर्ष 1991 में जनपद अल्मोडा में अनु0जाति की जनसंख्या 128811 व्यक्ति थी तथा अनु0 जनजाति की जनसंख्या 916 व्यक्ति थी। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोडा की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 141127 तथा अनु0 जनजाति की जनसंख्या 878 व्यक्ति थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोडा की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 150995 तथा अनु0 जनजाति की जनसंख्या 1281 व्यक्ति है।

2.4 कर्मकरः—

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोडा में कुल जनसंख्या से कुल मुख्य कर्मकर का प्रतिशत 32.30 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत 49.43 तथा नगरीय क्षेत्र का प्रतिशत 34.18 है। विभिन्न कर्मकरों के अन्तर्गत कुल मुख्य कर्मकर से अन्य कर्मकरों का प्रतिशत 30.93 तथा कुल कर्मकरों में से कृषि कार्य में लगे कर्मकरों का प्रतिशत 65.71 है, खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत 2.00 है तथा घरेलू उद्योग धन्धों में लगे कर्मकरों का प्रतिशत 1.35 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में मुख्य कर्मकरों की संख्या 201078 व्यक्ति है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 181144 व्यक्ति तथा नगरीय क्षेत्र में 19934 व्यक्ति है। इससे स्पष्ट है पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्य आर्थिक रूप से अधिक लाभकर नहीं हो पा रहा है तथा क्षेत्र में कृषि कार्य से हटकर अन्य उद्योग धन्धों में लगने की प्रवृत्ति अधिक पनप रही है।

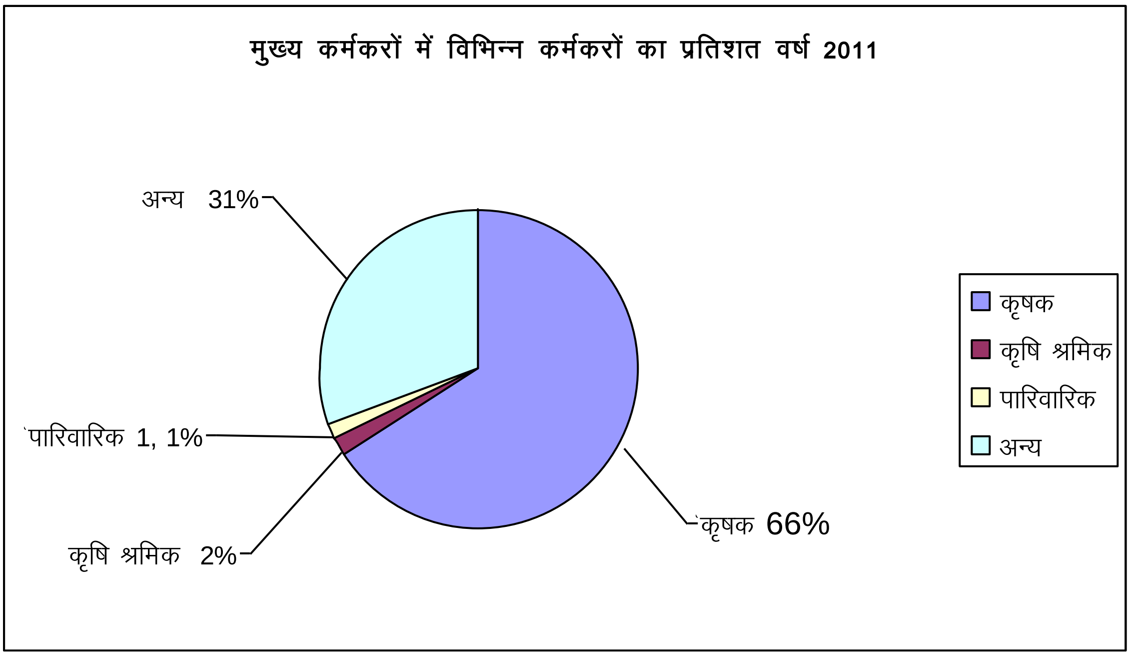

2.5 लिंगवार अनुपातः–

जनगणना वर्ष 1991 की जनगणनानुसार लिंगवार अनुपात 1099 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष था। वर्ष 1997–98 में जनपद बागेश्वर सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा में 1097 स्त्रियॅा प्रति हजार पुरूष रह गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1139 स्त्रियॅा प्रति हजार पुरूष तथा नगरीय क्षेत्र में 727 स्त्रियॅा प्रति हजार पुरूष था। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार प्रति हजार पुरूष पर जनपद अल्मोडा में 1145 स्त्रियॉ थी। जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1189 स्त्रियॉ तथा नगरीय क्षेत्र में 774 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष पर थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्रति हजार पुरूष पर जनपद अल्मोडा में 1139 स्त्रियॉ है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1177 स्त्रियॉ तथा नगरीय क्षेत्र में 848 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष हैं।

2.6 आयु वर्गः–

जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 38.80 प्रतिशत व्यक्ति थे। 15 से 59 के आयु वर्ग में 52.80 प्रतिशत, तथा 60 से ऊपर आयु वर्ग में 8.20 प्रतिशत व्यक्ति थे। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 0 से 14 आयु वर्ग में 36.14 प्रतिशत, 15 से 59 आयु वर्ग में 53.56 प्रतिशत तथा 60 से ऊपर के आयु वर्ग में 10.16 प्रतिशत व्यक्ति है।

2.7 साक्षरताः–

जनपद अल्मोडा की जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत कुल जनपद 58.70 प्रतिशत थी। जिसमें पुरूष 80.76 प्रतिशत तथा स्त्रियॉ 39.60 प्रतिशत साक्षर थी । वर्ष 1997–98 में जनपद बागेश्वर के सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा का कुल जनसंख्या से साक्षरता प्रतिशत 59.79 हो गया जिसमें 80.76 प्रतिशत पुरूष तथा 41.3 प्रतिशत स्त्रियॉ साक्षर थी। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 217988 पुरूष तथा 175980 स्त्रियॉ साक्षर थी। जनगणना 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या (6 वर्ष से अधिक

जनसंख्या पर आधारित) से साक्षरता प्रतिशत 73.62 था। जिसमें पुरूषों की साक्षरता प्रतिशत 89.2 तथा स्त्रियो की साक्षरता प्रतिशत 60.6 था।

जनगणना वर्ष– 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 231604 पुरूष तथा 204893 स्त्रियॉ साक्षर है। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या (6 वर्ष से अधिक जनसंख्या पर आधारित) से साक्षरता प्रतिशत 80.47 है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता प्रतिशत 92.86 तथा स्त्रियो की साक्षरता प्रतिशत 69.93 है।

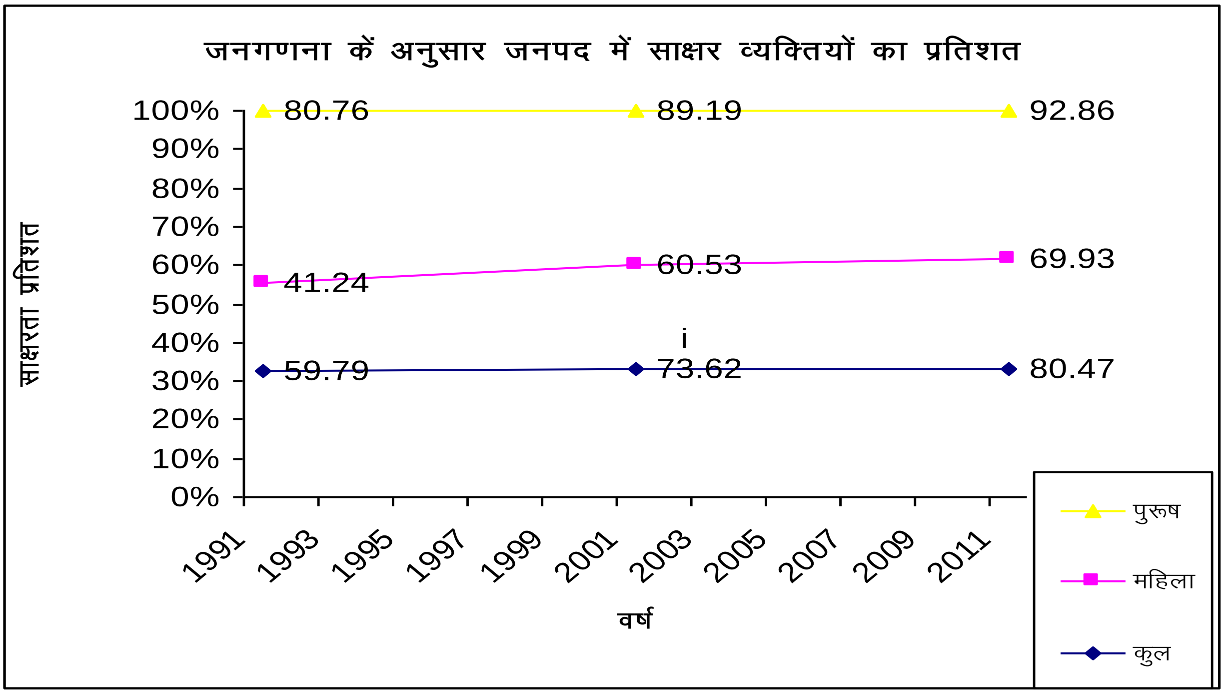

2.8 आवासीय भवनः–

जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार 146507 आवासीय भवन थे। जनगणना वर्ष 1991 में परिवारों की संख्या 165908 थी, जिसमें 93.40 प्रतिशत ग्रामीण एवं 6.6 प्रतिशत नगरीय है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में आवासीय भवनों की कुल संख्या 227687 है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 212784 तथा नगरीय क्षेत्र में 14903 आवासीय भवन है।

2.9 परिवारों की संख्याः–

जनगणना वर्ष 1981 के अनुसार अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत परिवारों की कुल संख्या 112528 थी तथा जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत परिवारों की कुल संख्या 123618 तथा जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में परिवार की कुल संख्या 131525 थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 120214 तथा नगरीय क्षेत्र में 11311 परिवार थे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में परिवारों की कुल संख्या 140577 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 125209 तथा नगरीय क्षेत्र में 15368 परिवार है।

अध्याय–5
कृषि

कृषि के अन्तर्गत समस्त भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। यह 'तलाऊ' भूमि जिले की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रवी, खरीफ दोनों फसलें ऊगाई जाती है बीच में कुछ नकदी फसलें जैसे आलू ,प्याज अथवा सोयाबीन जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है उगाई जाती हैं। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते है। यह दो भागों में बाटी जा सकती है– 1. अब्बल 2. दोयम। अब्बल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती हैं उपजाऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षांत में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रवी में एक भू–भाग परती छोड़ना पड़ता है।

भूमि उपयोग :– जनपद में भूमि उपयोग (हैक्टेयर) तीन वर्षो के तुलनात्मक ऑकडे निम्न तालिका में प्रदर्षित किये जा रहे है :–

क0सं0	मद	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	464942	464942	464942	464942
2	वन	236184	236184	236184	236184
3	कृषि योग्य बंजर भूमि	38325	38365	38135	38140
4	वर्तमान परती	2485	3557	1857	2264
5	अन्य परती	6290	7698	6100	6110
6	ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	25275	25280	24051	24051
7	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	12534	12564	12297	12299
8	चरागाह	28321	28321	29214	29214
9	उद्यानों वृक्षों, झाडियों का क्षेत्रफल	34385	34387	38597	38590
10	शुद्व बोया गया क्षेत्रफल	81143	78586	78507	78090

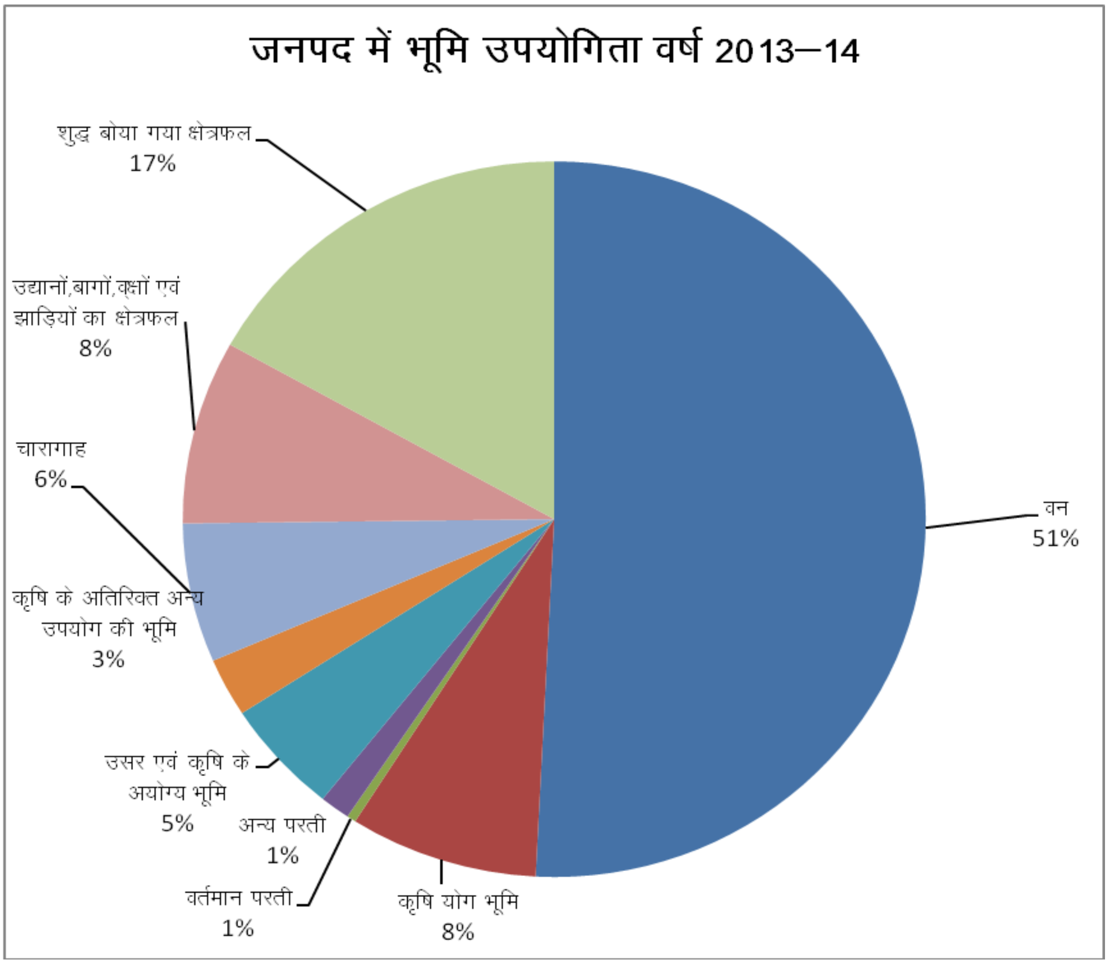

भूमि जोतः–

जनपद में कृषि गणना 2000–01 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 122322 व क्षेत्रफल 86628 है0 है। क्षेत्रफल 0.5 है0 से कम 16.83 प्रतिशत क्षेत्र है। 0.5 से 1.00 है0 तक 28.68 प्रतिशत क्षेत्र है। 1.00 है0 से 2.00 है0 तक 34.22 प्रतिशत क्षेत्र, 2.00 है0 से 4.00 है0 तक 16.86 प्रतिशत तथा 4.00 है0 से 10 है0 तक 2.95 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 10 है0 से अधिक के अन्तर्गत 0.44 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

जनपद में कृषि गणना 2005–06 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 113940 व क्षेत्रफल 86866.78 हैक्टेयर है। क्षेत्रफल 0.5 है0 से कम 14.35 प्रतिशत क्षेत्र है। 0.5 से 1.00 है0 तक 30.27 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 1.00 है0 से 2.00 है0 तक 36.45 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 2.00 है0 से 4.00 है0 तक 16.11 प्रतिशत तथा 4.00 है0 से 10 है0 तक 2.48 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 10 से अधिक 0.32 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

जनपद में कृषि गणना 2010–11 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 109268 व क्षेत्रफल 83945 हैक्टेयर है। क्षेत्रफल 0.5 है0 में जोतों की संख्या 43532 तथा क्षेत्रफल 12887.57 हैक्टेयर है। 0.5 से 1.00 है0 में जोतों की संख्या 38511 तथा क्षेत्रफल 27853.65 हैक्टेयर है। 1.00 है0 से 2.00 है0 के अन्तर्गत जोतों की संख्या 22451 तथा क्षेत्रफल 30576.95 हैक्टेयर है। 2.00 है0 से 3.00 है0 के अन्तर्गत जोतों की 3832 तथा क्षेत्रफल 9074.23 हैक्टेयर है। 3.00 है0 से 4.00 है0 के अन्तर्गत जोतों की संख्या 738 तथा क्षेत्रफल 2504.05 हैक्टेयर है। 4.00 है0 से

5.00 है0 के अन्तर्गत जोतो की संख्या 138 तथा क्षेत्रफल 614.97 हैक्टेयर है। 5.00 है0 से 7.5 है0 के अन्तर्गत जोतो की संख्या 57 तथा क्षेत्रफल 334.89 हैक्टेयर है। 7.5 है0 से 10 है0 जोतों की संख्या 6 तथा क्षेत्रफल 50.30 हैक्टेयर है। 10 है0 से 20 है0 जोतों की संख्या 2 तथा क्षेत्रफल 27.46 हैक्टेयर है। 20 है0 से अधिक है0 के अन्तर्गत जोतो की संख्या 1 तथा क्षेत्रफल 20.85 हैक्टेयर है।

केन्द्र पोषित योजना

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

1. जैविक कार्यक्रमः–

जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में जैविक संरचना निर्माण के अन्तर्गत 500 वर्मी कम्पोस्ट, 320 नाडेप, 55 बम्बू नाडेप, 30 प्रषिक्षण एवं 10 मास्टर ट्रेनरों के मानदेय के अन्तर्गत वर्ष में कुल 39.28 लाख रू0 व्यय किया गया। जिसमें 1570 सामान्य जाति के कृषक एवं 255 अ0जा0 के कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार कुल 1825 कृषकों को लाभान्वित किया गया ।

2.कृषक महोत्सवः–

वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषक महोत्सव रबी का आयोजन जनपद की समस्त न्याय पंचायतों में किया गया। जिसमें कृषि व सम्बन्धित रेखीय विभागों द्वारा स्टॉलों व प्रदर्षनों के माध्यम से कृषि व विभाग सम्बन्धित जानकारियॉ दी गयी। कृषि निवेष वितरित किये गये साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र व विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा भी कृषि व रेखीय विभागों की उन्नत तकनीकी सम्बन्धी जानकारियॉ दी गयी। महोत्सव के दौरान रबी में 15970 कृषको द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग किया गया ।

3. एकीकृत बहुद्देषीय जल सम्भरण योजनाः–

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में जनपद में 35 बहुद्देषीय जल संभरण टैकों का निर्माण कराया गया जिसमें 140.00 लाख रू0 की धनराषि के लक्ष्य के सापेक्ष 140.00 लाख रू0 की धनराषि व्यय की गयी।

4. मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम परीक्षणः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में जनपद अन्तर्गत भू–कटाव की रोकथाम हेतु ब्रेस्टवॉल ,जल निकास नाली, रिटेनिंग वॉल चैकडैम, पुस्ता व सुरक्षा दीवार आदि के निर्माण हेतु 180.00 लाख रूपये की धनराषि व्यय की गई।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन

1.चावल कार्यक्रमः–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन योजना के अन्तर्गत 2014–15 में 100 है क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्षनों का आयोजन कराया गया। अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीज वितरण अन्तर्गत 22.76 कु0 बीज अनुदान पर वितरित किये गये। सूक्ष्म तत्व कमी वाले क्षेत्रों में 522.15 है0 क्षेत्रफल में जिंक सल्फेट का वितरण कराया गया।

रसायन वितरण के अन्तर्गत 10060.23 है0 में कीट/रोग से बचाव हेतु फसल उपचार किया गया। कृषि यंत्रीकरण अन्तर्गत जनपद में 7 पावर बीडर, 21 जलपम्प अनुदान पर वितरण किये गये कॉपिंग सिस्टम बेस्ड प्रषिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 4 प्रषिक्षण आयोजित कराये गये। जैब उर्वरक वितरण के अन्तर्गत 1824.30 है0 क्षेत्रफल में जैव उर्वरकों का वितरण कराया गया। इस प्रकार कुल 11.08 लाख रूपये की धनराषि चावल कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय की गयी । जिसमें 0.73 लाख रूपये अनु0जाति के कृषकों पर व 10.35 लाख रूपये की धनराषि सामान्य कृषकों पर व्यय की गयी।

2. गेहूॅ कार्यक्रमः—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 324 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्षनों का आयोजन कराया गया। अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीज वितरण में 4.40 कु0 बीज वितरित किया गया, सूक्ष्म तत्व के अन्तर्गत 380.08 है0 क्षेत्रफल पौध रक्षा रसायन/जैव रसायन में 873.96 है0, खरपतवारनाषी अन्तर्गत 11.20 है0 क्षेत्रफल में वितरण किया गया। यंत्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 22 नैपसेक स्प्रेयर 2 थ्रेसर 5 बीडर, 2 पावर टिलर 19200 मी0 एच0डी0पी0ई0 पाइप 14 जलपम्प अनुदान पर वितरित किये गये साथ ही 6 कॉपिंग सिस्टम बेस्ड प्रषिक्षण भी आयोजित कराये गये। इस प्रकार कुल 29.43 लाख रूपया की धनराषि गेहूॅ कार्यक्रम हेतु व्यय की गई जिसमें 4.18 लाख रूपये अनु0जाति0 के कृषकों पर व 25.25 लाख की धनराषि सामान्य कृषकों पर व्यय की गयी।

3.दहलन कार्यक्रमः—

दलहनी फसलों को बढावा देने हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 204—15 में 68 है0 क्षेत्रफल में दलहनी फसलों का प्रदर्षन आयोजित कराया गया साथ ही साथ अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीज को बढावा देने हेतु 14.80 कु0 बीज अनुदान पर वितरित कराया गया। तथा सूक्ष्म तत्व वितरण के अन्तर्गत 410.70 है0 क्षेत्र आच्छादित कर 0.57 लाख रूपये अनुदान के रूप में वितरण किया गया। इस प्रकार जैव उर्वरक अन्तर्गत 350.90 है0 क्षेत्रफल आच्छादित कराया गया। रसायन वितरण के अन्तर्गत 410.70 है0 क्षेत्रफल में कीट/रोग के रोकथाम हेतु अनुदान पर रसायन वितरण कराया गया । कृषि यंत्रीकरण अन्तर्गत 23 स्प्रे मषीन, 8 जल पम्प कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये इस प्रकार दलहन कार्यक्रम में कुल 6.61 लाख रूपये व्यय किया गया। जिसमें 1.16 लाख रूपये अनु0 जाति0 के कृषकों व 5.45 लाख रूपये की धनराषि सामान्य कृषकों पर व्यय की गयी।

4. मोटा अनाज :—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2014—15 में मोटे अनाज वाली फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु 1500 है0 क्षेत्रफल में सूक्ष्म पोषक तत्व सम्बन्धी प्रदर्षन आयोजित कराये गये। जिस हेतु 1500 है0 क्षेत्रफल में मृदा प्रषिक्षण कराया गया व सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कराये गये जिसमें 4.18 लाख रूपये अनु0जाति0 के कृषकों

को व 25.25 लाख रूपये की धनराषि सामान्य कृषकों पर व्यय की गयी। इस प्रकार मोटा अनाज कार्यक्रम में कुल 16.02 लाख रूपये व्यय किया गया। जिसमें 3.82 लाख रूपये अनु0जाति0 के कृषकों पर व 12.20 लाख रूपये की धनराषि सामान्य कृषकों पर व्यय की गयी।

(अ) बीज ग्राम योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2014–15 में धान, मक्का, उर्दू सोयाबीन एवं गहत के आधारीय एवं प्रमाणित बीज 50 प्रतिषत अनुदान पर 4632 कृषकों में वितरण कर 5.02 लाख रूपये की धनराषि व्यय की गयी। जिसमें 1435 अनु0जाति0 एवं सामान्य जाति के 1292 महिला कृषकों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार रबी वर्ष 2014–15 में गेहूॅ के आधारीय एवं प्रमाणित बीज 50 प्रतिषत एवं लाही/सरसों के प्रमाणित बीज 60 प्रतिषत अनुदान पर वितरित किये गये। इस प्रकार कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 5245 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जिसमें 1142 अनु0जाति एवं 1572 महिला कृषकों को लाभान्वित किया गया। साथ ही कार्यक्रम अन्तर्गत 15 कृषक प्रषिक्षण आयोजित कराये गये।

(ब) आत्माः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में प्रदर्षन,जिला स्तरीय प्रषिक्षण, फार्म स्कूलों का संचालन, भ्रमण कार्यक्रम व किसान सम्मान/पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित कराये गये जिसमें 44.92 धनराषि के लक्ष्य के सापेक्ष 44.92 लाख रूपये की धनराषि व्यय की गयी जिसमें 17.22 लाख रूपये की धनराषि सामान्य कृषकों व 27.70 लाख रूपये की धनराषि अनु0 जाति के कृषकों पर व्यय की गयी।

(स) कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रमः–

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 50 प्रतिषत अनुदान पर छोटे कृषि यंत्रों का वितरण सामान्य जाति व अनुसूचित जाति के कृषकों के मध्य किया गया जिसमें 5.53 लाख रूपये की धनराषि के सापेक्ष 5.53 लाख रूपये की धनराषि व्यय की गयी।

(य) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत कृषि/उद्यान/पषुपालन सम्बन्धी प्रदर्षनों,पुस्ता निर्माण कार्य, जैविक संरचना निर्माण, सामुदायिक जल सम्भरण टैंक निर्माण व प्रषिक्षण/भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। जिसमें 57.70 लाख की धनराशि के लक्ष्य के सापेक्ष 47.70 लाख धनराशि सामान्य जाति के कृषकों व 10.00 लाख रूपये की धनराषि अनु0 जाति कृषकों हेतु व्यय की गयी।

2. राज्य सैक्टरः–

(अ) प्रयोगषालाओं का संचालनः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 11240 मृदा नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 20032 मृद नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके अन्तर्गत 1.53 लाख रू0 के सापेक्ष 1.53 लाख रू0 की धनराषि व्यय की गयी।

(ब) कृषि निवेष भण्डारों का सुदृढ़ीकरणः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 95 कृषि निवेष भण्डारों के किराये के लक्ष्य के सापेक्ष 88 कृषि निवेष भण्डारों के किराये की पूर्ति की गयी। इस कार्यक्रम में भवन किराया, मानदेय, विद्युतीकरण एवं कार्यालय फर्नीचर की मदें सम्मिलित है। इस योजना में 30.62 लाख रू0 के सापेक्ष 48.74 लाख की धनराषि व्यय की गयी।

जिला योजनाः–

1. बीज मिनिकिट वितरणः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 6195 बीज मिनिकिट वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 6195 मिनिकिटों का निःषुल्क वितरण किया गया, जिसमें 1365 मिनिकिट अनु0जाति के कृषकों में वितरित किये गये। इस कार्यक्रम में 10.84 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष 10.84 लाख रू0 की धनराषि व्यय की गयी जिसमें 6195 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

2. कृषि यंत्र वितरणः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में अनु0 जाति0 के कृषकों में 75 प्रतिषत अनुदान पर 18 षक्तिचालित कृषि यंत्रो के वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 18 कृषि यंत्र वितरित किये गये जिसमें 9.345 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष 9.345 लाख रू0 की धनराषि व्यय की गयी। एवं 80 प्रतिषत अनुदान पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को 75 षक्तिचालित यंत्र वितरण किये गये, जिसमें 29.77 लाख रू0 की धनराषि व्यय की गयी । मानवचालित यंत्रों के वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 10 मानव चालित यंत्र वितरित कर 3.5168 लाख एवं मानव चालित 08 कृषि यंत्र कृषकों को वितरित कर रू 0.3264 लाख एवं अनु जनजाति के एक कृषक समूह को एक षक्ति चालित यंत्र वितरित कर 0.5024 लाख एवं 01 मानव चालित कृषि यंत्र वितरित कर रू0 0.006 की धनराषि व्यय की गयी।

3. मृदा परीक्षणः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 6432 मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें अनु0 जाति के कृषकों के 1416 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम में 1.14 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 1.14 लाख रू0 की धनराषि व्यय की गयी।

4. पौध सुरक्षा कार्यक्रमः– जनपद में इस कार्यक्रम में वर्ष 2014–15 मे कीट/रोग की रोकथाम हेतु 3086.10 है0 क्षेत्रफल में कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग कर 1.75 लाख रूपये अनुदान के रूप में सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषकों में व्यय किया गया।

5. अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजनः–इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 22 जल संभरण टैकों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 22 संरचनाओं का निर्माण किया गया । जिसमें अनु0जाति0 के 3 संरचनाओं का निर्माण किया गया एवं अनु0 जनजाति की 1 संरचना का निर्माण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 60.325 लाख के सापेक्ष 60.325 लाख रूपये मे व्यय किये गये। जिमसें 9.66 लाख रू0 की धनराषि अनुसूचित जाति व 3.00 लाख रूपये की धनराषि अनु0 जनजाति हेतु व्यय किये गये।

कृषि रक्षा कार्यक्रमः— कृषि रक्षा का मुख्य कार्य फसलों को कीट,व्याधियों, चूहों एवं खरपतवारों के लिए सामयिक नियंत्रण कार्य कराना है। विभाग एवं शासन द्वारा समय—समय पर संचालित कार्यक्रमों में कृषकों को प्रषिक्षण भी दिया जाता है। फसलों की सुरक्षा हेतु फसल बुवाई से लेकर कटाई के पष्चात भंडारण तक विभिन्न चरणों में बीज शोधन भूमिगत कीट नियंत्रण, खडी फसल में कीट रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, चूहा नियंत्रण एवं अन्य भण्डारण के कार्यक्रम संचालित किये जाते है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014—15 में बीज शोधन, सामान्य कीट नियंत्रण, सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 21479.00 है0 क्षेत्रफल में कार्यक्रम संचालित किये गये।

अध्याय—6
उद्यान एवं सब्जी उत्पादन

जनपद में वर्ष 2014—15 में कुल राजकीय उद्यानों की संख्या 2 तथा नर्सरियों की संख्या 8 है। जनपद में उद्यान सचल दल केन्द्र की संख्या 34, फल संरक्षण केन्द्रो की संख्या 6 है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जनपद में कुल फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 24129 हैक्टेयर, सब्जी का क्षेत्रफल 4375 हैक्टेयर तथा आलू का सकल क्षेत्रफल 2444 हैक्टेयर है। औद्यानिक कार्यक्रम उत्तराखण्ड का कार्यक्रम है। इससे यहॉ के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रो का न होना है। जिससे उद्यानपतियों/सब्जी उत्पादकों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। जनपद में मौसमी फलों सब्जियों आदि के उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नही होता है। जिस कारण उद्यानपतियों/कृषको का आर्थिक नुकसान के साथ—साथ मौसमी फलो, सब्जियों आदि का नुकसान होता है। जनपद में उद्यान विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

जिला योजनाः—

स्पेषल कम्पोनेंट योजना :—

जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 50% राज सहायता पर 12 है0 क्षेत्रफल मे मुख्यतया आम व नीबू प्रजाति के फल पौधों का रोपण किया गया है। जिसमें 15 कृषकों को लाभान्वित किया गया। 50 प्रतिषत राज सहायता पर 161 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य कराया गया। जिसमें 1144 कृषको को लाभान्वित किया गया । 75 प्रतिषत राज सहायता के अन्तर्गत 287 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कुरमुला नियंत्रण का कार्य कराया गया। जिसके अन्तर्गत 1708 कृषको को लाभान्वित किया गया। पाली हाउस (30X11X9) वर्ग फीट में 5 पाली हाउस निर्माण कराये गये। जिसमें 90 प्रतिषत राज सहायता रू0 30600 प्रति कृषक 5 कृषकों को राज सहायता दी गयी।

सामान्य योजनाः—

योजनान्तर्गत 50 प्रतिषत राज सहायता पर 42 है0 में आम एवं सिट्रस पौधों का रोपण कर 128 कृषको को लाभान्वित किया गया । 1067 है0 क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य किया गया। जिसमें 4599 कृषकों को लाभान्वित किया गया। 334 है0 क्षेत्रफल में 75 प्रतिषत राजसहायता में कुरमुला कीट नियंत्रण का कार्य किया गया, जिसके अन्तर्गत 3380 कृषक लाभान्वित हुये। 46 पाली हाउस 90 प्रतिषत राज सहायता का निर्माण करवाया गया। जिसके अन्तर्गत 46 कृषकों को लाभान्वित किये गये । सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत 37 कुन्तल फल प्रसंस्करण कार्य करवाया गया जिसमें 5190 कृषकों लाभान्वित किये गये।

राज्य सैक्टरः–

1– राज्य सैक्टरः–

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कृषको के पूर्व स्थापित उद्यानों को जंगली जानवरों/पालतू जानवरों से सुरक्षा हेतु 333000 प्रति हैक्टयेर राज सहायता प्रदान की जाती है। 16 कृषकों के उद्यानों में 13.20 हैक्टेयर में एगिल आयरन/वायर की फैन्सीगल लगाकर व्यक्तिगत उद्यानों का घेरबाड़ किया गया है।

2–उद्यानों का जीर्णोद्धारः–

उद्यानों का जीर्णोद्धार के अन्तर्गत 13 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। जिसमें 13 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

3–ग्रीन हाउस की पालीथीन बदवाल योजनाः–

ग्रीन हाउस की पालीथीन बदवाल योजना के अन्तर्गत 10800 वर्ग मी0 में पुराने पाली हाउसों की पालीथीन का बदलाव कर 20 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

4–वृहद फल पौध रोपणः–

वृहद फल पौध रोपण के अन्तर्गत निःषुक्ल 29825 फल पौध का रोपण कर 5465 कृषकोको लाभन्वित किया गया ।

वर्ष 2014–15 में उद्यान विभाग की वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार रही–

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराषि (लाख रूपये में)	व्यय धनराषि (लाख रूपये में)
	जिला सैक्टर	52.45	52.45
2	राज्य सैक्टर	70.96	70.34
3	केन्द्रीय योजना(HMNEH)	59.00	27.33 शेष धनराशि का व्यय वर्ष 2015–16 में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

इस योजनान्तर्गत कृषकों की मॉगानुसार सब्जी बीज मटर मैथी, पालक, मूली, गाजर, धनिया,लाही, षलजम, सब्जी बीज 34.50 कुन्तल अदरख बीज 45 कुन्तल,आलू बीज 400 कुन्तल तथा 279500 ग्लेडियोलाइ पुष्प के बल्वों का वितरण 50 प्रतिषत राज सहायता पर उद्यानपतियों में वितरित किया गया ।

रमसा योजनाः—

रमसा योजनान्तर्गत हल्दी 136 कुन्तल, अदरख 59 कुन्तल,फ्रैंचबीन 350 किग्रा0 तथा हाइब्रिड सब्जी प्रदर्षन (बन्दगोभी,टमाटर) 8 किग्रा0 सब्जी बीज 50 प्रतिषत राज सहायता पर कृषको को वितरित किया गया।

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिषन (HMNEH):—

फल पौध क्षेत्रफल विस्तारः—एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत वर्ष 2014—15 में निम्नानुसार औद्योनिक कार्य करवाये गये।

1—फल पौध क्षेत्रफल विस्तारः—

इस योजना के अन्तर्गत आम 23 है0 , सेव 10 है0 आमरूद 5 है0 आंवला 5 है0, नीबू प्रजाति 10 है0, अनार 10 है0, नाषपाती 01 है0 कुल 69 है0 क्षेत्रफल में पौध रोपण कार्य करवाया गया । जिसमें कुल 112 कृषक लाभान्वित किये गये। द्वितीय एवं तृतीय किष्त के अन्तर्गत 155 है0 क्षेत्र में फल पौध रोपण कर 262 कृषको को लाभान्वित किया गया।

2—सब्जी क्षेत्रफल विस्तारः—हाइब्रिड सब्जी प्रदर्षन(टमाटर,बन्दगोभी,षिमला मिर्च) 30. 00 है0 क्षेत्रफल में किया गया । जिसमें 100 कृषक लाभान्वित किये गये।

3—पुष्प क्षेत्रफल विस्तारः—इस योजना के अन्तर्गत 2.00है0 क्षेत्रफल में ग्लडियोलाई पुष्प का उत्पादन करवाया गया जिसके अन्तर्गत 05 उद्यानपतियों को लाभान्वित किया गया है।

4—मसाला क्षेत्रफल विस्तारः—

मसाला मिर्च 05 है क्षेत्र में अदरख 30 है0 कुल 35 है0 क्षेत्र में मसाला उत्पादन का कार्य करवाया गया।

5— पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धारः—

सेब 05 है, नीबू 05 है0, आम 05 है0, कुल 15 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया गया। जिसमें 15 कृषक लाभान्वित किये गये।

6—वर्मी कम्पोस्ट मषीनः— 2 वर्मी कम्पोस्ट पीट का निर्माण 50 प्रतिषत राज सहायता पर किया गया। जिसके अन्तर्गत 2 उद्यानपतियों को लाभान्वित किया गया।

4—पावर आपरेटेड मषीनः— 1 ट्रैक्टर 50 प्रतिषत राज सहायता पर कृषक को उपलब्ध कराया गया ।

अध्याय 7
वन सम्पदा

वनस्पति, प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख, अचल एवं सजीव तत्व है। प्राणिमात्र के लिए प्राणवायु ,जलवायु–विज्ञान के आधारषिला निर्माण तथा पर्यावरण सन्तुलन वन सम्पदा द्वारा ही सम्भव है। वन सम्पदा से ही वायु प्रदूषण पर नियन्त्रण,वर्षा की मात्रा का स्थायित्व एवं भूक्षरण पर नियन्त्रण होता है। ईधन ,चारा तथा काष्ठ के अतिरिक्त बहुमूल्य जीवन दायिनी वनौषधियॉ वनों से ही प्राप्त होती है। परन्तु वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि,वैज्ञानिक प्रयोगों, वनों में आग लगने की अप्राकृतिक घटनाओं तथा सामाजिक विकास के लिए वनों के कटान होने से पर्यावरण असन्तुलित हो रहा है। जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जिसमें अस्थमा,पीलिया,निमोनिया,हेपेटाइटिस तथा रक्तचाप आदि रोग आम हो गये है।

पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण सन्तुलन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार प्रदेष के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के दो तिहाई भाग वनाच्छादित होने चाहिए । इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य हेतु राज्य की वन नीति एवं वृक्षारोपण नीति 2005 लागू की गई। जो न केवल यहॉ के आर्थिक विकास को नये आयाम दे सकें बल्कि दूसरी ओर मृदा व जल संरक्षण की पूर्ति भी कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन विभाग पूर्व से ही प्रयासरत है लेकिन वर्तमान परिवेष में वन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी, गैरसरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी वनावरण बढ़ाने के उददे्ष्य से सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी भूमि पर वृक्षों का रोपण कर योगदान दिया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में वन विभाग द्वारा जनपद अल्मोड़ा में कुल 2225.92 है0 क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न प्रजातियों के 2027524 पौधे रोपित किये गये। इस पूरे जनपद में वन विभाग के अधीन वन क्षेत्र के अन्तर्गत 785.195 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 848.56 वर्ग किमी सिविल एंव सोयम वन, 698.53 वर्ग किमी0 पंचायती वन तथा 29.56 वर्ग किमी निजी/कैन्ट तथा नगरपालिका एवं अन्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है।

यहॉ वन समुद्र तल से 463 मीटर की ऊॅचाई से आरम्भ होकर 2769 मीटर ऊॅचाई के बीच स्थित है। वनों की समुद्र तल से ऊॅचाई में भिन्नता, अभिमुख व ढाल की तीव्रता तथा जलवायु की विषमता के फलस्वरूप यहॉ विभिन्न प्रकार के वन तथा वनस्पति स्वभाभिक रूप से पाया जाती है। रोपण की सफलता को प्रभावित करने वाले कारक स्थान–स्थान पर भिन्न है । इन सारी विविधताओं से भरे रोपण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रजातियों के चयन के साथ–साथ उपयुक्त रोपण स्थलों का चयन और भी आवष्यक हो जाता है।

जनपद में वन क्षेत्रों से पाये जाने वाले विभिन्न उत्पादों को परिष्कृत एवं निजी प्रयोग हेतु निम्न रूपों में तैयार कर उपभोग किया जा रहा है।

बांज :–

बांज घास प्रजाति के अन्तर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। भूमि तथा जल संरक्षण हेतु बांज को विषेष संरक्षण प्रदान करना तथा संवर्धन करके वन निधि में वृद्वि कर व प्राकृतिक जल श्रोतों में सुधार लाया जा सकता है। बांज वृक्ष लगाकर वन क्षेत्रों में प्राकृतिक सहायतित पुनरोत्पादन एंव रोपण द्वारा वन निधि में वृद्वि व सुधार लाकर आदर्ष वन बचाओं का प्रयास किया जा सकता है। बांज के वृक्षों के षाखा कतरन नियंत्रित कर स्थानीय पषुओं की चारे की समस्या हल की जा सकती है। तथा स्थानीय निवासियों की ईधन, चारा, पानी आदि की समस्या को हल किया जा सकता है। प्रभाग के बांज वनों के प्रबन्धकों के लिए ओक संवर्धंन कार्यवृत का गठन हुआ जिसमें विषेष वन वर्धकीय कार्यो द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन का अभिप्रेरणा संरक्षण तथा परिवर्धन बांज वनों में बांज तथा अन्य चौड़ी पत्तियॉ वाली प्रजातियों का रोपण कर वन निधि में वृद्वि तथा अविवेक पूर्णष्षाखावर्तन में परिणित कर स्थानीय पषुओं के चारे की समस्या को हल करने में योगदान जैसे प्रबन्ध के विषिष्ठ उद्देष्य रखें गये विषेष का वर्धन कार्य में बांज के कापिस कल्लों का तथा बांज के कम घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 20 है0 क्षेत्र में बांज वाटल रोपनिया घैस पहाड़ी पीपल उतीस व रिंगाल रोपित कियें जाते हैं ।

वनौषधिः –

इस प्रकार वन प्रभाग में अनेकों प्रकार की उपयोगी वनौषधि प्रजातियां पाई जाती है। वनौषधि प्रजातियों का बाहुल्य और अत्यन्त उपयोगी औषधि जड़ी बूटियों का यह प्राकृतिक भण्डार स्थानीय जनता के लिए अनुपूरक आय का भी साधन है। वनों से महत्वपूर्ण औषधियां पादाकों के असतत विदोहन का इतिहास बहुत पुराना रहा है। निरन्तर असतत विदोहन के परिणाम स्वरूप अनेक महत्वपूर्ण औषधियां पादप दुर्लभ संकटग्रस्त तथा विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके है। राज्य में किये गये सर्वेक्षण एंव अध्ययन के आधार पर षासन द्वारा कुछ औषधियां पौधों के वनों से विदोहन को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उत्तराखण्ड के वनों मे संकटग्रस्त पौधों के अलावा कई अन्य औषधियां पादप उपलब्ध है। तथा जिनका संग्रहण सस्टिनेबल आधार पर किया जा सकता है। इन प्रजातियों का वनों से संग्रहण उसी सीमा तक किया जा सकेगा जो जड़ी–बूटी संग्रहण समिति द्वारा निर्धारित होगी। जड़ी–बूटी के संग्रहण का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम कुमाऊं, मण्डल विकास लिंगमयां जिला भैषज संघों द्वारा किया जायेगा । वनों से जड़ी–बूटी एकत्रीकरण का कार्य केवल स्थानीय निवासियों से कराया जायेगा। जड़ी–बूटी एकत्रीकरण कार्यों के लिए स्थानीय निवासियों का पंजीकरण वन द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक वन विभाग में प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वन विभाग के विभिन्न रेंजों के विदोहन कक्षों से उस वर्ष के लिए

संग्रहण योग्य जड़ी–बूटी मात्राकृत किया जाएगा। वनों से जड़ी–बूटी का संग्रहण 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक ही किया जायेगा। स्थानीय निवासियो को अपने निजी उपयोग के लिए जड़ी–बूटी निकालने का अधिकार है। अधिकतर लोग सुविधाजनक क्षेत्रो से जड़ी–बूटी निकालने का प्रयास करते रहते है। इसलिए जड़ी–बूटी का आवर्ती संग्रहण किया जाना उचित होगा। जिससे कुछ समय के लिए वनो को विश्राम मिल सकेगा। जड़ी–बूटी संग्रहण के लिए आरक्षित वनों में पांच वर्ष का आवर्तन चक्र निर्धारित किया गया हैं। जिससे जडी–बूटी के पौधे उगाने हेतु सरकार द्वारा आदेष जारी किये गये हैं। जिससे जड़ी–बूटी का अधिक से अधिक रोपण किया जा सके।

बांस :–बांस घास प्रजाति के अन्तर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा है। भारत वर्ष में बांस की लगभग 125 किस्म की प्रजातियां पायी जाती है। अल्मोड़ा वन प्रभाग के वन क्षेत्रों में सामान्यतया बांस प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। बांस एक बहुउपयोगी प्रजाति का पौध है। यह अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजाति है व सर्वाधिक बायोमास पैदा करता है इसलिए कार्बन स्थिरीकरण के लिए भी यह एक उत्तम प्रजाति मानी जाती है । इसके विविध उपयोग है। यह चटाई, टोकरी, चारपाई,टैण्ट ,पोल एंव हस्तशिल्प आदि घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल का आधार है। बांस की अनेक प्रजातियां खाने योग्य होती है। उनसे सब्जी व अचार बनाये जाते है। राज्य सरकार द्वारा इसके आर्थिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बांस के विकास के लिए प्रसास किये जा रहे है। पर्वतीय क्षेत्र में डैण्ड्रो कैलामस स्ट्रिकटस तथा डैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोनाई का ही रोपण किया जाना उचित माना जाता है।

रोपण विधि :–बांस रोपण के लिए क्षेत्र का चयन कर पत्थर की घेरबाड़/तारबाड़ करके क्षेत्र को चराई से सुरक्षित कर लिया जाता हैं। मार्च माह से पूर्व क्षेत्र में 5 मी0 अन्तराल पर 45 45 45 से0मी0 के गड्डे खोदकर मिट्टी को ऋतुरक्षण के लिए बाहर ढेर कर दिया जाता है। ऋतुरक्षण मृदा को गड्डे में भर दिया जाता है । पौधषाला में उगाई गई डेढ़ वर्ष आयु के पौधों का रोपण इन गड्डों में कर दिया जाता है। पौधों के रख–रखाव एवं उनकी सुरक्षा कम से कम पॉच वर्षो तक की जाती है। हैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोजाई प्रजाति को 50.00 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उगाई जा सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोनाई अधिक उपयुक्त प्रजाति है। इन दोनों प्रजातियों की पौधषाला तकनीक एक समान है।

घास :–

वर्ष 1991 में कु0 फॉरेस्ट ग्रीवा संज कमेटी की संस्तुति के आधार पर प्रथम श्रेणी वनो में पौधारोपण क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को

चारण, घास कटान व षाखा के असीमित अधिकार प्राप्त है। श्रेणी द्वितीय के स्थानीय वनों में स्थानीय निवासियों का पुनरोत्पादन क्षेत्र ईधन, चारा आरक्षित क्षेत्र रोपण क्षेत्र व देवदार वनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चाराई की सुविधा उपलब्ध है। चक्रीय चरण से चरणवार समस्या का आंषिक निदान सम्भव है। अतः सिविल पंचायती वन तथा आरक्षित वन को सम्मिलित करते हुए ग्रामवासियों की सहमति एवं सहासोग से चक्रीय चाराण हेतु सूक्ष्म योजनाओं का निरूपण एवं कार्यन्वयन किया जाना चाहिए। आबादी के निकट स्थित बांज,फल्यांट, आदि वनों में ग्रामवासियों की सहमति एवं सहयोग से आवर्ती षाखाकतरन हेतु सूक्ष्म योजनाओं का निरूपण एवं कार्यान्वयन किया जाय। ग्रामवासियों को खेतों की मेड़ो पर तथा कृषि अयोग्य बंजर भूमि में क्वैराल, खड़िक, भीमल, दुधीला, फल्यांट, बांज, सागौन, फाइकस प्रजातिया च्यूरा, षहतूत आदि चारा पत्ती वाली प्रजातियां रोपित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्राम के निकट की खाली भूमि पर ग्रामवासियों के सहयोग से घास व चारा प्रजातियों का रोपण किया जाय।

जनपद अल्मोड़ा में वृक्षारोपण के लिए उपर्युक्त प्रजातियॉ :–

(1) आर्थिक औद्योगिक प्रजातियॉः–चीड़ देवदार,अखरोट,सीरस सेमल,बांस,रिंगाल हरड़ बहेड़ा ऑवला,जामुन,काफल,चमखाड़िक,अंगू ,तुन बांज,सुरई,तेजपाल आदि।

(2) ईधन प्रजातियॉः–षीषम, क्वैराल, तिमला,अकेषिया,बांज,फल्यांट जामुन आदि।

(3) चारागाह विकासः–सिरस, नीम, क्वैराल,खाडिक, बाकली, तिमला, बांस, भीमल, बांज, फल्याट,षहतूत,रोबीनिया आदि।

(4) सूखे रहे जल स्त्रेतः– उतीस,बांज,फल्याट रिंगल देवदार, अखरोट, सिरस आदि।

(5) फलदार रोपणः– आम आंवला अखरोट,मेहल काफल,अमरूद, नीबू , तिमला, बेहड़ा इमली, षहतूत आदि।

(6) पथ वृक्षारोपण :– सुरई सिल्वर ओक, गुलमोहर, पॉपुलर, अकेषिया, पांगर, बोटल ब्रुष सिरस, आम, बांस आदि।

पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के प्रबन्ध का उद्देष्य पारिस्थितिकीय सुरक्षा करना होना चाहिए, क्योकि इस क्षेत्र में व्यावसायिक वानिकी नही की जा सकती है। भूमि आवरण पर्याप्त मात्रा में बना रहना चाहिए। कि वन क्षेत्रों के प्राकृतिक जल श्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समुचित प्रबन्ध आवष्यक है। जिसके लिए जनता के माध्यम से जागरूकता लानी होगी। प्रत्येक व्यक्ति हरियाली एवं विकास उद्धरण को चरितार्थ करें। तथा वृक्षरोपण कर स्वयं एवं आने वाले भविष्य हेतु स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सकें।

अध्याय–8

पशुपालन

पशुपालन इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो वर्तमान समय में भी यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। यहॉ लगभग हर घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि पालतू जानवरो को देखा जा सकता है। जनपद में पशु चिकित्सा, पशुधन विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है, जो कि निम्नवत है–

1 पशु चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्यः–जनपद में वर्ष 2014–2015 में 37 पशु चिकित्सालय, एक सचल पशु चिकित्सालय, 65 पशुसेवा केन्द्र, 60 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र, एवं 3 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित है। जिनके माध्यम से वर्ष में 345857 पषुओं को चिकित्सा एवं 186086 पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीके लगाये गये ।

2 पशुधन विकास एवं नस्ल सुधार :–जनपद में वर्ष 2014–2015 में 65 पशु सेवा केन्द्रों तथा 60 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी वर्ष में 10314 गायों/भैसों को प्रजनन सुविधा दी गयी तथा 13820 निकृष्ट सांडों का बधियाकरण किया गया।

3 कुक्कुट विकासः–जनपद में 1000 कुक्कुट पक्षियों की क्षमता वाला एक राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, हवालबाग में कार्यरत हैं। तथा जनपद में 4 विकास खण्डों में सघन कुक्कुट विकास परियोजना चलाई जा रही है। कुक्कुट प्रक्षेत्र हवालबाग से इस वर्ष 2014–15 में 120269 क्रायलर प्रजाति के कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत कुल 191006 कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया।

4 भेड़ विकास :–जनपद अल्मोडा में 3 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र पूर्व से ही कार्यरत है, जिनके माध्यम से स्थानीय भेड़ो में नस्ल सुधार एवं चिकित्सा/टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। भेड़ एवं भेड़ पालकों का बीमा न्यूनतम प्रीमियम पर किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में जनपद में 11 भेड पालकों का बीमा कराया गया।

5 चारा विकास कार्यक्रमः–जनपद में एक चारा अनुसंधान प्रक्षेत्र भैंसवाड़ा में कार्यरत हैं। प्रक्षेत्र पर विभिन्न बहुवर्षीय उन्नतशील चारा घासों जैसे दोलनी, गुच्छी, ब्रोम, राई घासों के बीज/रूट स्टाक के साथ ही नैपियर घास के रूट स्टाक का उत्पादन किया जाता है। वर्ष में प्रक्षेत्र पर 190 कु0 चारा बीज उत्पादन, 210 कु0 हरा चारा, 20 कु0 सूखा चारा उत्पादन एवं जड़–क्लोन्स/रूट स्टाक रूम द्वारा वितरण/विक्रय विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया गया। जनपद में 8 उपचारा बैकों क्रमशः सोमेश्वर, बाडेछीना, धौलादेवी, लमगडा, ताड़ीखेत तथा तुराचौरा तथा बसोट के माध्यम से पशुपालकों को चारा फीड ब्लाक का भी वितरण किया जाता है।

अध्याय–9
सहकारिता

जनपद में 80 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉ कार्यरत है। तथा एक जिला सहकारी बैंक, जिसकी 20 शाखाएं है तथा 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निबन्धित है। जिसका कार्यक्षेत्र जनपद के बाहर भी है। जिला सहकारी बैंक के माध्यम से सहकारी समितियों के सदस्यों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण शासन द्वारा संचालित योजनाओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 की स्थिति निम्नवत है :–

1–अल्पकालीन ऋण वितरण :–सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 2500.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष कुल 2917.70 लाख रू0 का ऋण वितरित किया गया।

2–मध्यकालीन ऋण वितरण :– सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 600.00 लाख रू0 के लक्ष्य के सापेक्ष 192.75 लाख रू0 का ऋण वितरित हुआ।

3– सदस्यता वृद्धि :–सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 2200 लक्ष्य के सापेक्ष 1367 नये कृषकों को समिति का सदस्य बनाया गया है।

4–अंशधन वृद्धि :–सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 35.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष 23.88 लाख रू0 की वृद्धि की गयी।

5–निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय करना :– सहकारी समितियों के जो सदस्य समिति से लेन देन नहीं कर पा रहे थे। उन्हे सक्रिय करने के प्रयास के फलस्वरूप वर्ष के दौरान 2400 के लक्ष्य सापेक्ष 1325 समिति के सदस्यों को सक्रिय किया गया।

6–उर्वरक व्यवसाय :–वर्ष के दौरान जनपद में कार्यरत समितियों के द्वारा 560.00 मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष 517.066 मी0 टन यूरिया, 450.00 मी0 टन लक्ष्य के सापेक्ष 134.891 मी0टन एन0पी0के0, 300 मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष 46.425 मी0 टन डी0ए0पी0 उर्वरकों का वितरण किया गया।

7–उपभोक्ता व्यवसाय :–ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय के अन्तर्गत समितियों के माध्यम से कुल 56.28 लाख रू0 तथा शहरी उपभोक्ता व्यवसाय के अन्तर्गत 65.79 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

8– सहकारी देयों की वसूली :–सहकारी देयों की वसूली समिति एवं सदस्यों के मध्य 3230.13 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष वसूली 1878.34 लाख रू0 की हुई।

अध्याय–10
सिंचाई

जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत राजकीय सिंचाई के तीन खण्ड क्रमषः सिंचाई खण्ड, लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा एवं सिंचाई निर्माण रानीखेत कार्यरत है। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अर्न्तगत निर्मित नहरों/पम्प योजनाओं का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यो का रख–रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषको को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं :–

राजकीय सिचाईः–

वर्तमान में जनपद में कुल 205 नहरें एवं 58 पम्प योजनायें निर्मित है। जिनकी कुल लम्बाई 618.031 किमी0 तथा सी0सी0ए0 6878.00 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टरः–

जिला योजना वर्ष 2014–15 में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा 319. 62 लाख रूपये की धनराषि अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष 299.28 लाख रूपये की धनराषि अवमुक्त हुई, जिसके अर्न्तगत नहरों/लिफ्ट योजनाओं का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से 146 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं 1894 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनः जीवित की गई। इसके अतिरिक्त दो छोटी–छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया ।

केन्द्र पोषित योजनाः–

(अ)केन्द्र पोषित योजना (एस0पी0ए0):–

इस योजना के अन्तर्गत एस0पी0ए0 मद में अल्मोड़ा नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु वर्तमान में इस विभाग के अन्तर्गत कोसी बैराज का निर्माण कराया जा रहा है । इस प्रकार बैराज के लिय वर्ष 2014–15 में रू0 1366.28 लाख षासन से अवमुक्त हुआ। जिसके सापेक्ष रू0 1057.83 लाख व्यय कर बैराज का 90 प्रतिषत सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया। षेष कार्य प्रगति पर है।

(ब)केन्द्र पोषित योजना (सी0एस0एस0):–

इस योजना के अन्तर्गत रू0 787.06 लाख की धनराषि षासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष रू0 739.13 लाख की धनराषि व्यय कर दो संख्या बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर कार्य कराया गया जिन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3–वाह्रय सहायतित(नाबार्ड) :–

इस योजना के तहत वर्ष 2014–15 में रू0 76.19 लाख की धनराषि व्यय कर 8.45 किमी0 लम्बाई की नहरों का जीर्णोद्धार कर 119 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित करायी गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मनरेगा के अन्तर्गत रू0 35.99 लाख की धनराषि से कोसी नदी एवं पनार नदी में 10 योजनाओं में जल संबर्द्धन एवं भूमि बचाव तथा चैनलाईजेषन का कार्य किया गया।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग एवं भैसियाछाना में विद्यालयों के उच्चीकरण एवं षुद्धीकरण के अन्तर्गत एक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

विभाग जनपद के विकास कार्यो एवं काश्तकारों को बेहतर सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु शत्त प्रयासरत है।

लघु सिंचाईः–

लघु सिचाई विभाग द्वारा जनपद के अन्तर्गत लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2014–15 तक 4534 हौज, 2716.475 किमी0 गूल, 210 पम्पसेट एवं 191 हाईड्रम यूनिटों का निर्माण कर 26011.994 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 2014–15 में 43.424 किमी0 गूल, 238 हौज, 04 पम्पसेट का निर्माण कर 810.22 हैक्टयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

अध्याय–11
दुग्ध विकास

अल्मोडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा ने सर्वप्रथम अपना व्यवसाय शिखर होटल के पास एक किराये के भवन से प्रारम्भ किया था। जिसमें 1954 से 1976 तक दुग्ध एकत्रीकरण तथा विक्रय किया जाता था। प्रारम्भ में संस्था के पास अपने कोई संयत्र न होने के कारण दूध को कढ़ाई मे गरम करके दूध की केनों को ठन्डे पानी में रख कर दूध विक्रय किया जाता था। वही सरप्लस दूध की क्रीम निकाल कर दूध गरीबों को निःशुल्क वितरित किया जाता था। वर्ष 1965–66 में शासन द्वारा दुग्धशाला की स्थापना हेतु 70 नाली भूमि पाताल देवी में उपलब्ध कराई गई, तथा पाश्चुराईज्ड प्लान्ट हेतु 1.30 लाख की धनराषि सयंत्र के लिए उपलब्ध कराये गये थे। वर्ष 1974 में राज्य सरकार द्वारा दुग्धशाला की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गये। जिसका शिलान्यास तत्कालीन मा0 वित्त मंत्री भारत सरकार श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा किया गया। वर्ष 1976 में मु0 3.04 लाख की लागत से दुग्धशाला भवन बन कर तैयार हुआ तथा इसमें 05 हजार ली0 क्षमता के सयंत्र स्थापित हुए। अल्मोड़ा दुग्ध संघ में वर्तमान हैडलिंग क्षमता निरंतर प्रगति पर है। संघ के पास मुख्य दुग्धषाला जिसकी क्षमता अब 20 हजार लीटर प्रतिदिन है, के अतिरिक्त ताड़ीखेत, चौखुटिया, जैती, बागेष्वर में क्रमषः 10,000 ली0, 2,000 ली0, 1,000 ली0, 2,000 ली0 के अवषीतन केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2014–15 में 270 कार्यरत समितियों से 15652 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हैं। वर्ष 2014–15 में औसतन 9677 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर वर्ष के दौरान लगभग

32.24 लाख लीटर से अधिक दुग्ध संग्रहित कर लगभग मु0 8.65 करोड़ से अधिक का दुग्ध समितियों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है।

डेयरी विकास विभाग के सहयोग से दुग्ध संघ द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

जिला योजना:–

वर्ष 2014–15 में आपात कालीन पषु चिकित्सा, गॉव स्तर से रोड हैड तक दूध पहुॅचाने हेतु हैड लोड अनुदान,, आहार अनुदान, दूध की गुणवत्ता जॉच हेतु उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम , प्रसार कार्यक्रम ,कृमिनाषक दवाईयों तथा प्राथमिक पषु चिकित्सा की दवाई दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध उपलब्ध कराने हेतु अल्मोड़ा जनपद को रू0 55.50 लाख अवमुक्त हुआ था, जिसको निर्धारित मदों में व्यय किया जा चुका है।

राज्य योजना: –

वर्ष 2014–15 में मु. 30.29 लाख रू0 राज्य योजना में यातायात मद में प्राप्त हुआ था, जिसका व्यय किया जा चुका है।

महिला डेयरी परियोजना:–

उत्तराखण्ड में दुग्ध उर्पाजन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देष्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उपार्जन कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में पषु पोषण, डिवर्मिंग, स्वयं सहायता समूह, जागरूकता कार्यक्रम, सहकारी षिक्षा एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है। वर्ष तक 55 दुग्ध समितियों का गठन कर जिनसे प्रतिमाह औसतन 810 ली0 दूग्ध उपार्जन किया गया ।

अध्याय–12
मत्स्य विकास

जनपद में मत्स्य पालन स्वरोजगार का सशक्त साधन है। वर्तमान में ऊॅचाई वाले क्षेत्रो में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियॉ कामन मिरर, सिल्वर एंव ग्रासकार्प पाली जा रही है। जनपद में उपलब्ध प्रमुख जल संसाधन के अन्तर्गत कोसी, रामगंगा, विनोद, गंगास, सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियॉ हैं। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण अभाव है। मत्स्य पालन हेतु शुद्ध जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर तैयार कराये गये कच्चे तालाबों में मत्स्य बीज वितरण किया जाता रहा है। अंगुलिकाओं का वितरण निर्धारित मूल्य व यातायात व्यय वसूल कर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ वर्ष भर जलस्त्रोतों की उपलब्धता रहती है।

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2014–15 में जिलायोजना /राज्य योजना /केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत चलाये गये कार्यक्रमों का विवरणः–

1–शीतजल मात्स्यिकी का विकासः– योजना केन्द्र पुरोनिधानित है। इसका संचालन 75:25 (केन्द्र एवं राज्य) के आधार पर किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विकास करना है। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में निम्न कार्य सम्पादित कराए गए।

(अ) पर्वतीय तालाब निर्माणः– मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्तिगत को मत्स्य पालकों को तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु अनुदान देकर लाभान्वित किया जाता है। मत्स्य पालको को प्रति 100 वर्ग मी0 की एक यूनिट हेतु रू0 12,000 का अनुदान देय होना था। किन्तु वर्ष 2014–15 में षासन से केन्द्रांष अवमुक्त न होने के करण मात्र जिला योजना मद से आवंटित राषि में ही कुल 8 यूनिट तालाबों का निर्माण कराया गया। जिसमें कुल रू0 0.96 लाख की धनराषि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

2–जलाशय विकास योजनाः–

(अ) मत्स्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनचेतना गोष्ठीः–पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध जलस्त्रोतों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनचेतना व गोष्ठियों का आयोजन अलग–अलग विकास खण्ड़ों में किया गया । प्रति गोष्ठी रू0 10,000 की दर से व्यय किया गया। वर्ष 2014–15 में कुल (03) तीन गोष्ठियों का आयोजन किया गया । जिस पर कुल रू0 30,000 की राशि व्यय की गयी।

ब–मत्स्य बीज संचयः–मत्स्य बीज संचय हेतु विभिन्न स्त्रोतों जैसे प्रदेश में स्थित मत्स्य प्रक्षेत्रों/नदियों आदि से मत्स्य बीज संग्रहित कर जनपद के भीतर ही दूसरे ऐसे स्थानों पर जहॉ पर मत्स्य सम्पदा का निरन्तर ह्रास हो रहा है तथा मछलियों की कुछ प्रजातियों लुप्त होने के कगार पर है। तथा मत्स्य बीज संचय का कार्य किया जा रहा हैं। वर्ष 2014–15 में कोसी/रामगंगा/विनोद आदि नदियों में 2.00 लाख मत्स्य बीज जनपद ऊधमसिंह नगर में हेमपुर हैचरी, काशीपुर से ला कर संचित किया गया है।

राज्य सैक्टर

अनुसूचित जाति हेतु उपयोजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु तालाब निर्माण, मत्स्य पालन प्रशिक्षण, का आयोजन किया गया। योजनान्तर्गत कराए गए कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

1–अनुसूचित जाति उपयोजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु तालाब निर्माण तथा मत्स्य पालन प्रषिक्षण का आयोजन किया गया। योजनान्तर्गत कराए गए कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1–तालाब निर्माणः– योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मत्स्य पालको को तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेष हेतु प्रति 100 वर्ग मीटर (एक यूनिट) पर रू0 60,000 मानक व्यय पर 70 प्रतिशत अनुदान रू0 42,000 की दर से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2014–15 में कुल 15 व्यक्तियों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

2–पर्वतीय तालाब निर्माण योजनाः– इस योजनान्तर्गत 50 वर्ग मीटर की एक यूनिट स्ओन पिचिंग तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेष हेतु 50,000/– मानक व्यय मानते हुए 50 प्रतिषत अनुदान धनराषि रू0 25,000/–अनुदान देय है। वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत जनपद में 6 यूनिट तालाब निर्माण किये गये।

3–आदर्ष तालाब का निर्माण योजनाः– इस योजनान्तर्गत 200 वर्ग का पक्का सीमेटेन्ड बहुउद्देषीय मत्स्य पालन तालाब बनाये जाने का प्रावधान है। इसमें रू0 3.00 लाख मानक मानते हुए 50 प्रतिषत अनुदान धनराषि रू0 1.50 लाख/– अनुदान देय है वर्षान्त में बजट मिलने के कारण वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत कोई लाभार्थी न मिल पाने के कारण तालाब का निर्माण नही कराया गया ।

2–मत्स्य बीज वितरणः–वर्ष 2014–15 में मत्स्य बीज 2.25 लाख मत्स्य पालकों के तालाबों में संचय हेतु उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/ अभिकरण की हैचरी से लाकर वितरित किया गया।

योजनाओं से जनता को लाभः–उपरोक्त योजनाओं से जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ प्रोटीन युक्त मांसाहार की पूर्ति के साथ ही कुपोषण की समस्या भी दूर हुई है। स्वामित कृषि योग्य भूमि का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके अधिकतम लाभ अर्जित किया जा रहा है। रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे ग्रामीणों को अपने ही गॉव में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तथा स्वच्छ पर्यावरण में सहायक वन सम्पदा के दोहन को रोकने के साथ–साथ जलीय प्रदूषण को रोकने में भी मद्द मिल रही है। जगह–जगह तालाब निर्माण होने से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन का कार्य स्वतः ही हो रहा है। तालाब निर्माण होने से पशुओं के पीने के पानी की समस्या दूर होने के साथ–साथ सिंचाई आदि सम्बन्धी रोजमर्रा के कार्य सम्पादित हो रहे हैं।

अध्याय–13
विद्युत

जनपद अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेषन का मण्डल स्तरीय कार्यालय रानीखेत में स्थित है। जिसके अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड रानीखेत, विद्युत वितरण खण्ड अल्मोड़ा व विद्युत परीक्षण खण्ड अल्मोड़ा कार्यरत है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड कार्यालय हल्द्वानी में एवं उप खण्ड कार्यालय रानीखेत में है। तथा ग्रामीण विद्युतीकरण का मण्डल कार्यालय हल्द्वानी में हैं। जनपद अल्मोड़ा में 11 विकास खण्डों के अन्तर्गत 2156 राजस्व ग्राम विद्युतीकृत है।

31 मार्च 2014 तक रा0गां0ग्रा0वि0यो0 के अन्तर्गत 103 नग अविद्युतीकृत ग्राम, 105 विद्युत बाधित ग्राम, 2364 तोकों एवं 1339 विद्युत विस्तारित ग्रामों का विद्युतीकरण करने के साथ ही योजना बन्द हो चुकी है। जनपद में 34316 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत कर दिये गये है।

जिन ग्रामों /तोको में अभी भी विद्युतीकरण की आवष्यकता है , उनका विद्युतीकरण कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

जनपद के अन्तर्गत रानीखेत में स्थित विद्युत परियोजना खण्ड द्वारा आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत अल्मोड़ा एवं रानीखेत षहर में 3150 नग खराब विद्युत मापकों को बदलने , 72.884 किमी0 एल0टी0 लाईनो को एरियर बंच केबिल से बदलने, 4.187 किमी0 पुरानी एच0टी0 लाईनों का चालक(डॉक/रेबिट द्वारा) बदलने एवं 15.784 किमी0 नई एच0टी0 लाईन (एरियर बंच केबिल द्वारा) बनाने 65 नग नये परिवर्तकों की स्थापना एवं 2 नग पावर परिवर्तको की क्षमता 3 एम0वी0ए0 से 5 एम0वी0ए0 करने का कार्य किया जा रहा है।

जनपद की विद्युत आपूर्ति 132/33 के0वी0 स्यालीधार, अल्मोड़ा, क्षमता 2X20 एमवीए, एवं नैनी रानीखेत, क्षमता 2X15 एमवीए, उप संस्थानों से की जाती है। जनपद के अर्न्तगत 33/11 के0वी0 के लक्ष्मेश्वर, खत्याड़ी, बख, लमगड़ा, पनुवानौला, सोमेश्वर, कोसी, कनारीछाना, रानीखेत, घिघारीखाल, बग्वालीपोखर, द्वाराहाट, चौखुटिया, मासी, भिक्यासैण, सल्ट, स्याल्दे, ताड़ीखेत, बजोल, मनीला, कुल 20 उपसंस्थान कार्यरत है, जिनकी क्षमता 111.1 एमवीए है, जनपद में विभिन्न क्षमताओं के 11/0.4 के0वी0 वितरण उप संस्थान 3675 नग कार्यरत है। जनपद में 33 केवी लाईन लगभग 357.91 किमी0, 11 केवी0 लाईन लगभग 3753.56 किमी0 एवं एल0टी0 लाईन लगभग 5568.532 किमी0 है। जनपद में विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोगताओं की कुल संख्या लगभग 108000 है। जिसमें 90 प्रतिशत उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के है। मात्र 10 प्रतिशत उपभोक्ता अन्य श्रेणी के अन्तर्गत आते है। जिसके कारण जनपद का विद्युत राजस्व वसूली मैदानी क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप से कम रहता है। 33/11 केवी0 उप संस्थान मछोड एवं 33/11 केवी0 उप संस्थान जालली तथा दन्या (धौलादेवी) का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 33/11 केवी0 उप संस्थान देघाट का निर्माण प्रस्तावित है। 01 नग 33/11 केवी0 उप संस्थान जैती का निर्माण कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिस हेतु भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है।

अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत लगभग 3000 लकड़ी/क्षतिग्रस्त पोल स्थित है जिन्हे बजट की उपलब्धता को देखते हुए बदलने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में आवष्यकता के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध नही होने के कारण एवं कर्मचारियों की अधिक आयु होने के कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था एवं उपभोक्ता षिकायतों के निस्तारण में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। अतः नियमित कर्मचारियों की भर्ती आवष्यकीय है।

वर्ष 2014–15 में जनपद में विद्युत उपभोग (ह0कि0वाट0घ0) के आंकडे निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे हैः–

क्र0सं0	मद	2014–15
1	घरेलू प्रकाष एवं लघु विद्युत शक्ति	121383
2	वाणिज्य प्रकाष एवं लघु विद्युत शक्ति	23640
3	औद्योगिक विद्युत शक्ति	4505
4	सार्वजनिक प्रकाष व्यवस्था	1300
5	कृषि विद्युत शक्ति	1577

6	सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह व्यवस्था अन्य	16912
7	योग	169317

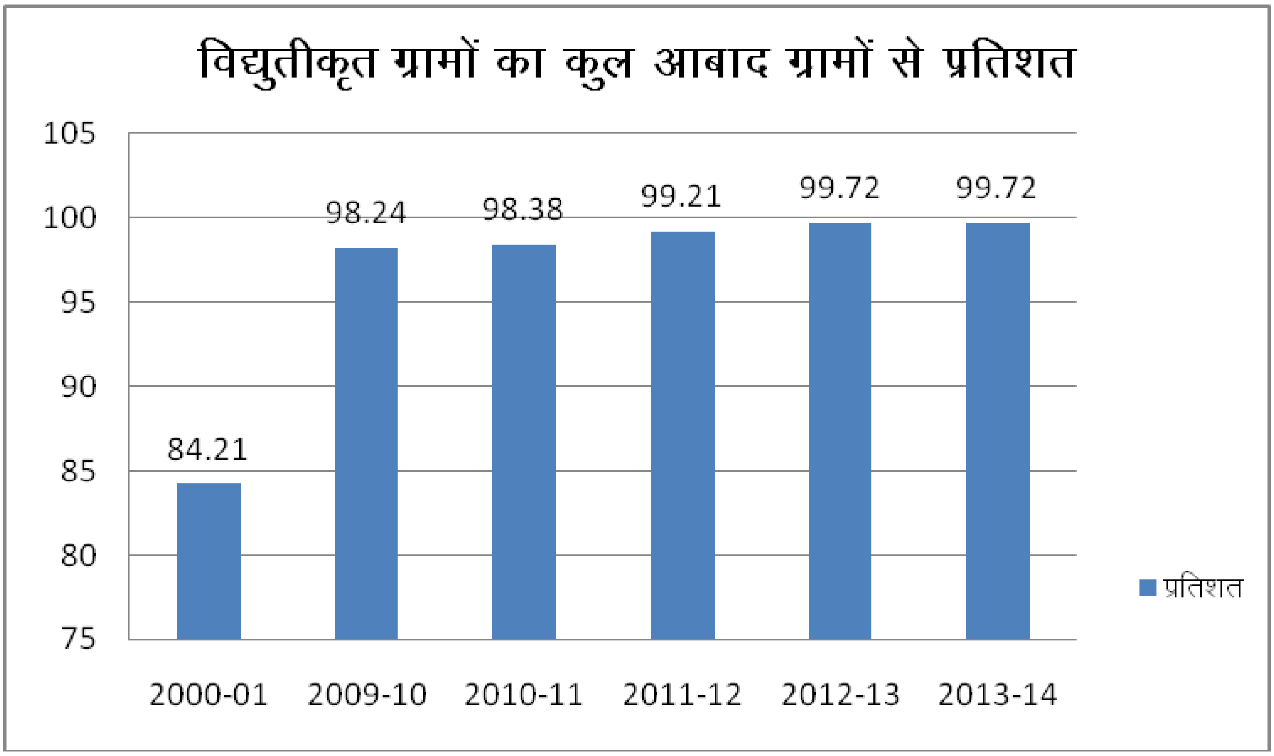

अध्याय–14
उद्योग

औद्योगिक विकास की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद अन्य पर्वतीय जनपदों की भांति पिछड़ी हुई स्थिति में है। इस जनपद का समस्त भू–भाग पर्वतीय है। विषम भौगोलिक संरचना के कारण यहॉ पर वृहत–मध्यम स्तरीय उद्योगों की अपेक्षा लघु/लघुतर ग्रामीण दस्तकारी ग्रामोंद्योग एंव हथकरघा, हस्तशिल्प इकाइयों का ही अधिक योगदान रहा हैं।

(अ) वृहत/भारी उद्योगः–

वृहत–भारी उद्योग श्रेणी में प्लान्ट एवं मशीनरी संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक पूॅजी निवेश की इकाईयॅा आती हैं। जनपद अल्मोड़ा में वृहत/भारी श्रेणी के उद्योग स्थापित नहीं हैं।

(ब) मध्यम स्तरीय उद्योगः–

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे उद्यमों जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में रू0 पॉच करोड़ से अधिक परन्तु दस करोड सके कम की उद्योग/इकाईयॅा आती हैं। सेवा क्षेत्र में उपकरण में विनिधान की सीमा 2 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम है वर्ष 2014–15 में मध्यम स्तरीय 01 इकाईयां स्थापित हुई है।

(स) लघु/सूक्ष्म उद्योगः–

सूक्ष्म एवं लघु और उद्यम विकास अधिनियम 2006 की अधिसूचना के अनुसार विनिर्माण एवं उत्पादन कार्य कर रहे है। ऐसे उद्यम जिसमें सयंत्र एवं मशीनरी में रू0 25 लाख तक पूँजी निवेश किया गया हो वे सूक्ष्म उद्यम के अन्तर्गत आती है, एवं सेवा प्रदान किये जाने वाले उद्यमों में उक्त पूँजी निवेश रू0 10.00 लाख रू0 तक निर्धारित किया गया है। लघु उद्यमों के अर्न्तगत उक्त पूँजी निवेश क्रमशः रू0 25 लाख से रू0 5 करोड़ निर्धारित की गयी है।

जनपद में स्थापित उद्योग सूक्ष्म/लद्यु श्रेणी में आते है। जनपद में स्थापित उद्योगों में आटा चक्की, तेल पिराई, धान कुटाई, रूई धुनाई, मसाला पिसाई, नमकीन, बिस्कुट, बैकरी, कान्फेक्शनरी, सोफ्टी , आइसक्रीम , बिरोजा वार्निश, आरा मिल, रिंगाल, बॉस बैंत, कास्ट फर्नीचर, कारपेन्टरी, जड़ी–बूटी, लोहारगिरी, आयरन इंजीनियरिंग, गेट ग्रिल वर्क्स, तांबे की कलात्मक वस्तुएँ ऊनी करघा, हस्तकला उद्योग, सोप स्टोन पाउडर, इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स रिपेयरिंग, पी0सी0ओ0 /फैक्स, साइबर कैफे, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, डाटा प्रोसेसिंग, प्रिन्टिंग प्रेस, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कलर लैब, टेन्ट हाउस, सीमेन्ट ब्लाक, गमले, जाली, मिनी पोल्ट्री, टेलरिंग, आटोमोबाइल रिपेयरिंग, टायर रिट्रेडिंग, एलोपैथिक दवा आदि प्रमुख उद्योग हैं। जनपद में 31–03–2015 तक पंजीकृत लद्यु औद्योगिक इकाईयों की संख्या 2070 है।

1. लघु उद्योगों की स्थापनाः–

वर्ष 2014–15 हेतु इस मद में वार्षिक लक्ष्य 130 के सापेक्ष 130 लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई है। एम.एस.एम.ई.एक्ट 2006 की परिभाषा के मुताविक 123 सूक्ष्म इकाईयां व 06 औद्योगिक इकाईयां एवं 1 मध्यम इकाई स्थापित की गयी हैं।

2. उद्योग मित्र बैठकः–

बैठक के आयोजन के अन्तर्गत उद्यामियों की समस्या के निराकरणार्थ जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति की 3 बैठकों का आयोजन कर उद्यमियों की समस्या का निराकरण किया गया।

3. औद्योगिक मेला प्रदर्शनी/गोष्ठी सेमिनार :–

औद्योगिक इकाइयों की प्रदर्शनी लगाकर औद्योगिक परिवेश/प्रेरणा को प्रसूत करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया हैं। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित बजट राशि प्राप्त नही हुई तथापि 02 प्रर्दशनी/गोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया ।

4. उद्यमिता विकास कार्यक्रमः–

उद्योग स्थापनार्थ उद्यमियों को आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से क्रियान्वित इस योजनान्तर्गत 13 सामान्य, 04 अनु0जाति एवं, 02 अनु0ज0जाति हेतु कुल 19 कार्यक्रम वर्ष 2014–15 में 6.27 लाख रू0 की बजट राशि से सम्पादित कराते हुए 539 प्रशिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण प्रदान किया गया।

5. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत कार्यरत इकाईयां :–

फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत निम्नांकित इकाईयां/औद्योगिक उपक्रम कार्यरत हैंः–

1. आल्पस फार्मास्यूटिकल, प्रा0लि0,पातालदेवी,अल्मोड़ा।
2. कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री,रानीखेत ।
3. इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लि0 मोहान।
4. खादी ग्रामोद्योग ऊल प्रोसेसिंग व फिनिसिंग प्लाण्ट रीवरव्यू फैक्ट्री, अल्मोडा।
5. ओरियन मैटल पाउडर रानीखेत।
6. अरोमो आटोमोबाईल्स बक्षीखोला अल्मोड़ा।
7. उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम वर्कषाप लोअर माल अल्मोड़ा।
8. अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, पाताल देवी अल्मोड़ा।
9. उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम वर्कषाप रानीखेत।

अध्याय–15
सड़कें, परिवहन एवं संचार

जनपद अल्मोडा के आर्थिक विकास एवं जनजीवन स्तर को उन्नत व समृद्ध बनाने में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवा की उपलब्धता कराने में सडकें एवं परिवहन, संचार साधन प्रमुख भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जाते है। संचार साधनों के द्वारा पारस्परिक निकटता की सुविधा प्राप्त होने के कारण जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरंजक बन गया है। जनपद में पिछले दशक में यातायात विस्तार में विशेष प्रगति रही जनपद के सभी परिवहन मार्ग देश प्रदेश के एक दूसरे स्थानों से जोड़े गये। पिथौरागढ, चमोली, नैनीताल और टिहरी जनपदों के लिए सीधे यातायात सुविधा है शेष रामनगर और काठगोदाम से रेलवे सुविधा उपलब्ध है। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त वन विभाग एवं जिला पंचायत/स्थानीय निकायों की सड़कें नगरीय एवं ग्रामीण जीवन से जुडाव रखने में सहायक है। जिसके द्वारा जिले के अन्दरूनी क्षेत्रों में पहुँचा जा सकता है।

1 सड़कें:–

जनपद में प्रति वर्ष सडकों द्वारा यातायात संचार में वृद्धि हो रही है। उपरोक्त विवरण के अनुसार जनपद अल्मोडा में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सडकों की लम्बाई वर्ष 2001–02 में 296.19 कि0मी0 जिसमें से लोक निर्माण विभाग की कुल लम्बाई 266.46 कि0मी0 थी।

जनपद में वर्ष 2011–12 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत सडकों की कुल लम्बाई 2382.164 किमी0 है, जिसमें 35.77 किमी0 हल्का वाहन मार्ग है एवं 163.864 किमी0 पैदल मार्ग है। वर्ष 2012–13 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत सडकों की कुल लम्बाई 2542.946 कि0मी0 है। वर्ष 2013–14 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत आने वाले सड़को की लम्बाई इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग 115 किमी0 ,प्रादेषिक राजमार्ग 534.37 किमी0 मुख्य जिला सड़कें 322 किमी0, अन्य जिला सड़के 638.67 किमी0, ग्रामीण सड़के 1371.73 किमी0 हल्का वाहन मार्ग 36.72 किमी0 हैं। पैदल मार्ग 163. 86 किमी0 मार्ग है।

वर्ष 2014–15 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत आने वाले सड़को की लम्बाई इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग 115 किमी0 ,प्रादेषिक राजमार्ग 654.79 किमी0 मुख्य जिला सड़कें 565.86 किमी0, अन्य जिला सड़के 1234.43 किमी0, ग्रामीण सड़के 1244.29 किमी0 हल्का वाहन मार्ग 47.47 किमी0 हैं। पैदल मार्ग 163.86 किमी0 मार्ग है।

7.1 बस स्टापः–

जनपद अल्मोडा में यात्रियों की सुविधाओं के लिए वर्तमान में 1078 बस स्टाप/टैक्सी स्टैण्ड कार्यरत है ।

7.2 डाक एवं तारः–

जनपद विभाजन के उपरान्त जनपद अल्मोड़ा में विगत वर्षो की तुलना में संचार सेवा में वृद्धि हो रही हैं। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2008–2009 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, 13089 टेलीफोन कनेक्षन (जिसमें चारों जनपदों की सूचना सम्मिलित हैं) व 108253 मोबाइल कनेक्षन कार्यषील है। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2012–13 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, 13090 टेलीफोन कनेक्षन (जिसमें चारों जनपदों की सूचना सम्मिलित हैं) व 108650 मोबाइल कनेक्षन कार्यषील है तथा जनपद अल्मोडा में वर्ष 2013–14 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, सार्वजनिक दूरभाष की संख्या 286, दूरभाष संयोजन की संख्या 7861 व टेलीफोन कनेक्षन 146631 मोबाइल कनेक्षन कार्यषील है। जनपद में 2 तारघर समाप्त हो गया हैं। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2014–15 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, सार्वजनिक दूरभाष की संख्या 188, दूरभाष संयोजन की संख्या 10374 व टेलीफोन कनेक्षन 147631 मोबाइल कनेक्षन कार्यषील है। जनपद में 2 तारघर समाप्त हो गया हैं।

अध्याय–16
बैंकिग

वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा में 77 राष्ट्रीयकृत बैंक, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 21 सहकारी बैंक, 12 अन्य निजी व्यवसायिक बैंक, तथा 1 सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सहित कुल 137 बैंक शाखायें कार्यरत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यावसायिक ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों पर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 5902 तथा नगरीय जनसंख्या पर 1242 है।

वर्ष 2010–2011 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2316.05 करोड़ रूपया है तथा इनके द्वारा वर्ष में 601.87 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2010–2011 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 25.99% है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण 222.68 करोड़ रूपया किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 58.21 एवं लघु उद्योग व अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में 164.47 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2011–2012 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2646.38 करोड़ रूपया हैं। तथा इनके द्वारा वर्ष में 640.04 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2011–2012 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 25% है। प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण 295.95 करोड़ रूपया किया गया है, जिसके अन्तर्गत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 75.64 एवं लघु उद्योग व अन्य तथा अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में 220.26 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं।

वर्ष 2012–2013 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2934.91 करोड़ रूपया हैं । तथा इनके द्वारा वर्ष में 779.54 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2012–2013 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 26.56 % है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण 2070.10 करोड़ रूपया किया गया हैं। जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 844.00 एवं लघु उद्योग व अन्य तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 315.70 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं।

वर्ष 2013–2014 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 3348.79 करोड़ रूपया हैं । तथा इनके द्वारा वर्ष में 892.05 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं। वर्ष 2013–2014 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 26.64 % है। प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण 74.04 करोड़ रूपया किया गया है, जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 60.33 करोड़ एवं लघु उद्योग सेवा क्षेत्र में 7.49 करोड़ व दुर्बल वर्ग को अग्रिम क्षेत्र में 6.22 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2014–2015 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 3834.61 करोड़ रूपया हैं। तथा इनके द्वारा वर्ष में 923.44 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं। वर्ष 2014–2015 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 24.08 % है। प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण 83.70 करोड़ रूपया किया गया है, जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 67.20 करोड़ एवं लघु उद्योग सेवा क्षेत्र में 15.25 करोड़ व दुर्बल वर्ग को अग्रिम क्षेत्र में 7.21 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया।

अध्याय–17
शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अत: चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं षिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है।

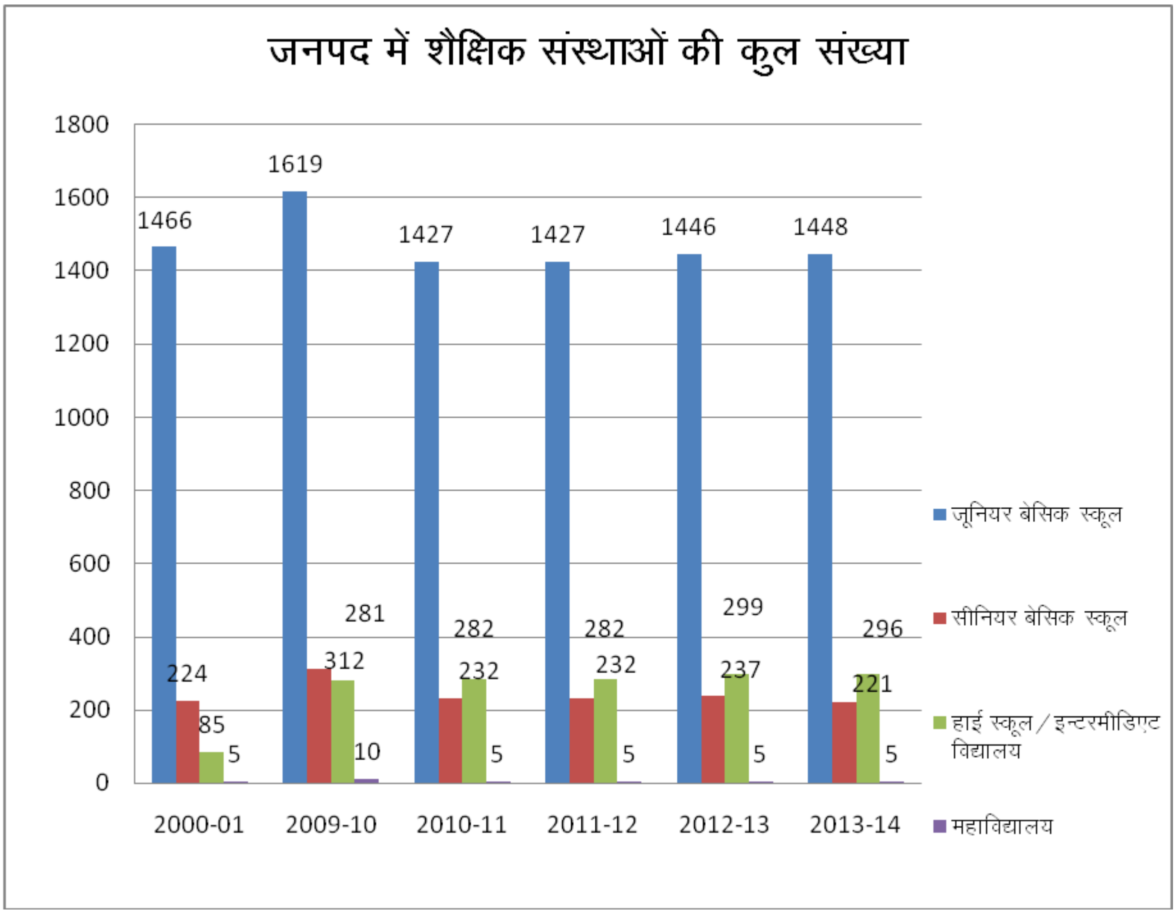

जनपद अल्मोडा में वर्ष 2014–15 में कुल 1458 प्राथमिक विद्यालय , 194 जूनियर हाईस्कूल, 311 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट कालेज, 9 स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 16 आई.टी.आई. , 8 पॉलीटैक्निक तथा 1 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट हैं। जो कि साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश में अपना विशेष स्थान रखता है। वर्ष 2014–15 में प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 32630, जूनियर हाईस्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 28972, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 63537 थी। स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 9565 है।

विभाग से संबंधित प्रमुख सूचनाएं निम्नवत हैः–

1–जिला योजनाः–

जिला योजना वर्ष 2014–15 में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा 712.00 लाख रू0 का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष रू0 712.00 लाख अवमुक्त हुआ हैं। अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत 12 विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण , 14 विद्यालय में चाहदिवारी/खेल मैदान निर्माण तथा 03 विद्यालय में अधूरे भवनों का निर्माण, 40 विद्यालयों में षौचालयों निर्माण एवं 02 विकासखण्ड में खण्ड शिक्षा कार्यालयों की स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैं।

2– विद्यालयों का उच्चीकरणः–

वर्ष 2014–15 में 03 राजकीय हाईस्कूलों का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण हुए है तथा 01 अषासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल का प्रान्तीयकरण किया गया हैं।

3–रिक्त पदों की पूर्तिः–

प्राइमरी स्कूलों में 603 स0अ0 की नियुक्तियॉ हुई है। अषासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 07 प्रवक्ताओं एवं 10 स0अ0एल0टी0 के पदों में नियुक्तियॉ हुई है।

4–परीक्षाफलः–

वर्ष 2014–15 में जनपद के अन्तर्गत हाईस्कूल में 14832 छात्र/छात्राएं एवं इन्टरमीडिएट में 11365 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। वर्तमान तक परीक्षाफल घोषित नही हुआ है।

तकनीकी शिक्षाः–

प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्ति को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक के लिए वांछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण का होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से जनपद अल्मोडा में भी व्यवसायिक शिक्षा हेतु आधुनिक एवं परम्परागत व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गयी है जो कि युवकों की शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके या स्वयं कुटीर अथवा लघु उद्योगों को स्थापित कर सके।

1.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः–

जनपद में इस समय 16 औ़द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है जो विभिन्न व्यवसायों में समुचित शिक्षा निवेश एवं ज्ञान द्वारा नवयुवकों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने में प्रयत्नशील है। जो कि निम्नवत् हैः–अल्मोडा नगर में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालक/बालिका कार्यरत हैं तथा एक–एक जैती, दौला, दन्या, स्याल्दे, क्वैराला, मछोड, खूॅट़, सोमेष्वर, मासी, बिन्ता, धौलछीना तथा रानीखेत में कार्यरत है।

2.प्राविधिक शिक्षाः–

जनपद में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आठ प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे है। जिनमें से एक महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोडा जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा में संचालित है। जो षहर से 03 कि0मी0 की

दूरी पर पातालदेवी में स्थित है। जहॉ केवल महिला अभ्यर्थियों को ही विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद में सात पालीटेक्निक निम्नवत है।

1–राजकीय पालीटेक्निक, द्वाराहाट

2–स्व0 जनरल बी0सी0जोषी राजकीय ग्रामीण पालीटेक्निक,ताकुला

3–स्व0सं0 से0 स्व0 पुरूषोत्तम उपाध्याय राजकीय पालीटेक्निक,सल्ट

4–राजकीय पालीटेक्निक, मल्ला सालम (लमगड़ा)

5–राजकीय पालीटेक्निक, चौनलिया (भिकियासैण)।

6–राजकीय पालीटेक्निक, दन्या।

7–राजकीय पालीटेक्निक, बाड़ेछीना।

उक्त प्राविधिक संस्थानों में महिला एवं पुरूष दोनों अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थानों में प्रवेष हेतु वर्तमान में प्रादेषिक स्तर पर संयुक्त प्रवेष परीक्षा आयोजित की जाती है। जिससे मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित किया जाता है। वर्तमान में जनपद अल्मोडा के विभिन्न पॉलीटैक्निको में चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत हैः–

1.राजकीय महिला पॉलीटैक्निक, अल्मोड़ाः–

(क) मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस

(ख) इलैक्ट्रानिक्स इंजी0

(ग) पी0जी0डी0सी0ए0

(घ) इन्फोरमेशन टैक्नोलाजी

(ड) पी0जी0डी0सी0ए0

2 राजकीय महिला पॉलीटैक्निक, द्वाराहाटः–

(क) मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रे0 प्रैक्टिस

(ख) इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

(ग) पी0जी0डी0सी0ए0

(घ) सिविल इंजीनियरिंग

(ड) फार्मेसी

(च) इन्फोरमेशन टैक्नोलाजी

(छ) कम्प्यूटर साइंस एण्ड टैक्नोलोजी।

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरूषोत्तम उपाध्याय राजकीय पॉलीटैक्निक सल्ट अल्मोड़ा–

(क) इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग।

(ख) कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजी0

4. जनरल बी0सी0जोषी राजकीय ग्रामीण पॉलीटैक्निक ताकुला अल्मोड़ा–

(क) मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रे0 प्रैक्टिस

(ख) इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

5. राजकीय पॉलीटैक्निक, चौनलिया (भिकियासैण) अल्मोड़ा

(क) मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रे0 प्रैक्टिस।

6. राजकीय पॉलीटैक्निक, मल्ला सालम(लमगड़ा) अल्मोड़ा

(क) कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग।

7. **राजकीय पॉलीटैक्निक,दन्या**

(क) सिविल इंजी0

8. **राजकीय पॉलीटैक्निक,बाडेछीना (भैसियाछाना)**

(क) इलैक्ट्रीकल इंजी0

उपरोक्त सभी पालीटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में षिक्षण/प्रषिक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है । छात्र/छात्राओं के सेवायोजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों को आमंत्रित कर परिसर साक्षात्कार आयोजित कराया जाता है। परिसर साक्षात्कार के माध्यम से इस वर्ष लगभग 60–80 प्रतिषत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों यथा बजाज,टाटा मोर्टस, ए0पी0एस0,सैमसंग, स्पाइसर इण्डिया आदि में सेवायोजन का लाभ प्राप्त होता रहा है।

उक्त के अतिरिक्त रा.म.पा0 अल्मोड़ा रा0ग्रा0पा0 ताकुला,रा0पा0 द्वाराहाट,एवं रा0पा0 सल्ट के केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक विकास योजना भी चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं/युवतियों को तकनीकी प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अन्तर्गत विभिन्न जागरूकता अभियान चलाये जाते है।

अध्याय–18

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्न्तगत जनपद में 4 बड़े चिकित्सालय, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 19 अति0 प्राथमिक केन्द्र, 40 ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 2 राजकीय महिला चिकित्सालय तथा 195 परिवार कल्याण उप केन्द्र है ।

उक्त चिकित्सालयों में एवं मुख्य चिकित्सालय कार्यालय में श्रेणी 'क' व 'ख'(पी0एम0एच0एस0) संवर्ग के 235 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 117 पद कार्यरत है। एवं ''आयुष'' के अर्न्तगत 72 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 69 चिकित्सक विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत हैं।

जनपद के समस्त विकास खण्डों में ''पं0 दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा'' कार्यरत हैं। आरोग्य रथ एवं मोबाइल हैल्थ क्लीनिक के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

एन0 आर0 एच0 एम0 के तहत वर्ष 2014–15 में जनपद में JSSK के अन्तर्गत 5369 प्रसव विभिन्न संस्थानों में किये गये। 804 आषाओं को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों हेतु 14 स्टाफ नर्स, तथा 42 ए0एन0एम0 की संविदा पर नियुक्ति की गयी । जनपद के 2153 राजस्व ग्रामों में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया। तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम को 463 (रूपया चार सौ तिरेसठ) की धनराषि प्रदान की गयी। वर्ष 2014–15 में कोई धनराषि नही दी गयी है।

जनपद में आयोजित परिवार कल्याण षिविरों में 2367 नसबन्दी ऑपरेषनों के लक्ष्य के सापेक्ष 1150 नसबन्दी ऑपरेषन किये गये तथा 64 प्रतिषत का लक्ष्य प्राप्त किया गया। सी0सी0 यूजर्स में 4458 लक्ष्य के सापेक्ष 153 प्रतिषत की दर से 6844 की उपलब्धि। कॉपर टी में 10450 लक्ष्य के सापेक्ष 79.8 प्रतिषत की दर से 8349 की उपलब्धि हैं। ओरल पिल्स में 1911 लक्ष्य के सापेक्ष 148.5 प्रतिषत की दर से 2830 की उपलब्धि प्राप्त की गयी। प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत डी0पी0टी0 में 84.8 प्रतिषत, पोलियों में 88.5 प्रतिषत, बी0सी0जी0 में 93.3 प्रतिषत तथा मीजिल्स में 92 प्रतिषत की उपलब्धि प्राप्त की गयी। एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 8 एच0 आई0 वी0 पाजिटिव रोगी खोजे गये हैं। कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 रोगी खोजे गये तथा 05 रोगी रोग मुक्त किये गये हैं। डाट्स कार्यक्रम के अन्तर्गत 764 रोगियों का उपचार किया गया। अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न स्थानों पर 56 नेत्र षिविर लगाये गये हैं। तथा 3723 केसों में सफलता पूर्वक आई0ओ0एल0 लैन्स प्रत्यारोपण किये गये। तथा लक्ष्य के विपरीत 105 प्रतिषत की उपलब्धि प्राप्त की गयी।

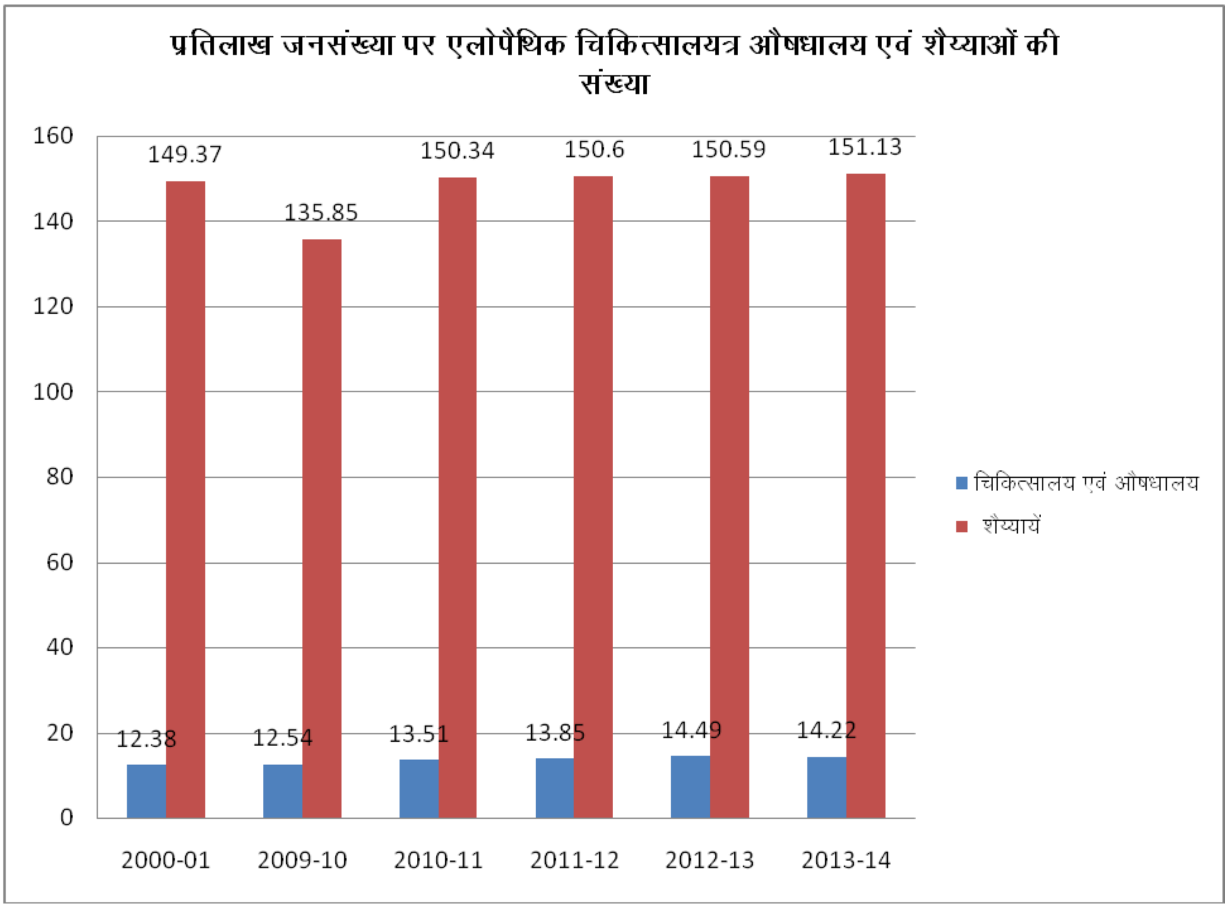

अध्याय–19

जल सम्पूर्ति

जनपद में जल सम्पूर्ति के लिये नलों द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जल निगम अथवा जल संस्थान एवं स्वजल के माध्यम से ही किया जा रहा है। जनपद में प्राकृतिक जल संसाधनों के माध्यम से पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे डिग्गी, नौले द्वारा गुरूत्व से तथा नदियों आदि के माध्यम से पम्पिंग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेयजल निगम द्वारा वर्ष 2001–02 के अन्त तक प्रेषित संशोधित सूचना के आधार पर 2117 ग्रामों में पूर्णतः पेयजल आच्छादन तथा 38 ग्रामों में आंशिक आच्छादित किया जा चुका था। पूर्व में प्रेषित सूचना 'राजीव गॉधी ग्राम पेयजल योजना' के अन्तर्गत तोकों के आधार पर दी गई है। जिसे राजस्व ग्रामों के आधार पर संशोधित कर दिया गया। वर्ष 2002–03 के अन्त तक जनपद अल्मोड़ा में 2123 ग्रामों में पूर्णतः पेयजल आच्छादन तथा 32 ग्रामो को ऑशिक आच्छादित किया जा चुका था।

वर्ष 2010–11 में राजीव गॉधी पेयजल मिशन के अर्न्तगत तक 2128 ग्रामों को पूर्णतः पेयजल आच्छादित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत उक्त 2128 ग्रामों में पेयजल वांछित तोको को राजीव गॉधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के अन्त तक कुल 2731 तोकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 के अन्त तक 2497 तोकों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 के अन्त तक 3199 तोकों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। दिनांक 1–04–2015 को 2013 अवषेष तोको में पेयजल आपूर्ति पूर्णतः श्रेणी प्रदान की जानी षेष है।

अध्याय–20
पर्यटन एवं पर्यावरण विकास

देवभूमि हिमालय की संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में अल्मोड़ा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वतमालाओ में विविध प्रागैतिहासिक, सांस्कृतिक अवषेष, आस्था के केन्द्र, धार्मिक स्थल और जनपद के चप्पे–चप्पे में फैली नैसर्गिक सुन्दरता देष–विदेष से पर्यटको को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। जनपद के अनेक स्थल धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहॉ अनेक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें नंदादेवी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर विषेष रूप से उल्लेखनीय है। देवाल स्थित चिडियाघर, पातालदेवी, राजकीय संग्रहालय, विवेकानन्द कृषि अनुसंधानशाला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर में कई धार्मिक एंव पर्यटन स्थल मौजूद हैं।

बिनसर महादेवः–

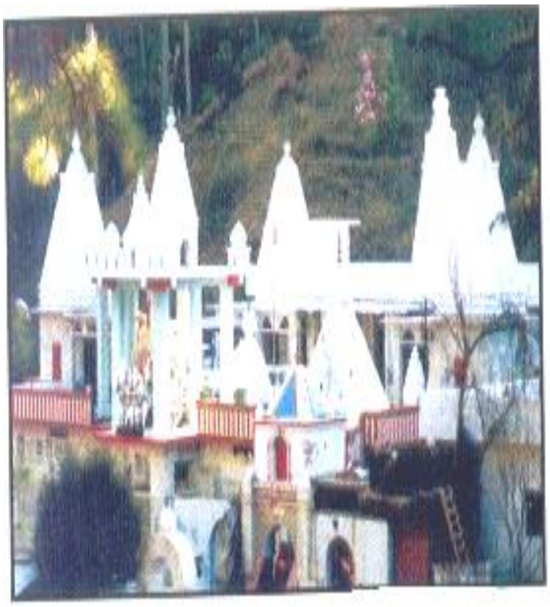

रानीखेत से 15 किलोमीटर दूरी पर सोनी के निकट बिनसर महादेव के भव्य दर्शनीय मंदिर का निर्माण ब्रहमलीन नागा बाबा मोहन गिरि ने किया था। यहॉ पर गीता भवन में सम्पूर्ण गीता संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गयी है। यहॉ पर एक संस्कृत पाठशाला भी है। मंदिर तक जाने के लिए पक्का मोटर मार्ग भी है। अल्मोड़ा से 30 किमी दूरी पर बिन्सर अभ्यारण्य का सम्पूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। यहॉ से सूर्य उदय एंव सूर्यास्त के दृश्यों के साथ हिमालय की छटा देखने योग्य है। अल्मोड़ा के इस प्रमुख पर्यटन स्थल में एक पक्षी विहार भी है

ऐड़ाद्यो:–

सोमेश्वर से पांच किलोमीटर दूरी पर ऐडाद्यो पर्वत पर बिन्देश्वर महादेव का और पर्वत की चोटी पर मॉ बिन्देश्वरी का सुन्दर मंदिर स्थित है। इन दोनो मंदिरो के मध्य में ऐड़ा देवी का मंदिर है। यह महादेव गिरि महाराज जी की तपोभूमि रही हैं। वन विभाग की सड़क तथा एक डाक बंगला भी यहॉ पर स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा यहॉ पर सौन्दर्यीकरण कार्य एवं धर्मषाला निर्माण किया गया हैं।

जागेष्वर:–

देवदार के सुरम्य वन में स्थित जागेश्वर की गिनती शिव मंदिरो में प्रसिद्ध द्वादस ज्योर्तिलिंगों में की जाती है। यह प्रसिद्ध तीर्थ व दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर समूह वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आवास हेतु पर्यटक आवास गृह एवं पेइंग गैस्ट हाउस उपलब्ध है।

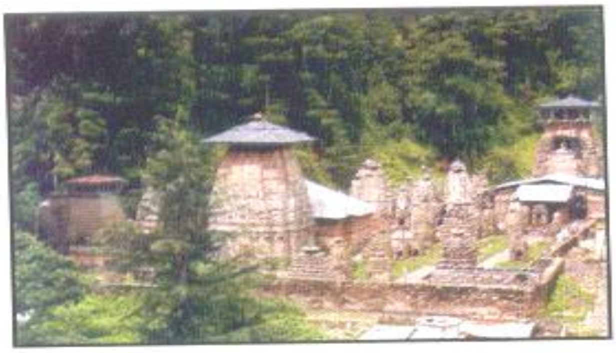

वृद्ध जागेश्वर:–

जागेश्वर से 3 किलोमीटर दूरी पर वृद्ध जागेश्वर का मंदिर है। प्रारम्भ में जागेश्वर धाम की स्थापना यहीं पर हुयी थी। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है।

झांकरसैम:–

जागेश्वर के पाष्चय पर्वत पर झांकरसैम का मंदिर है। यह सैम देवता का मंदिर है। सैम देवता को शिव का अवतार माना जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा धर्मशाला एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है।

कपिलेश्वरः–

लोधिया से लगभग 10 किलोमीटर पैदल मार्ग पर सुन्दर कपिलेश्वर शिव मंदिर है। इस मंदिर की मूर्तियॉ केदारनाथ ज्योर्तिलिंग मूर्तियों के समान है।

शीतलाखेतः–

यह स्थान अल्मोड़ा से 35 किमी दूर स्थित है। यहॉ पर स्याहीदेवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहॉ पर प्रायः स्काउटिंग के कैम्प भी लगते रहते है। भारत रतन पं0 गोविन्द बल्लभ पंत का जन्म स्थल ग्राम खॅूट यहॉ से मात्र 3 किमी की दूरी पर स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा आवासीय सुविधा का निर्माण किया गया है।

रानीखेतः–

सुरम्य वादियों व हिमा श्रृंखलाओं के मनोहरी दृश्यों को संजोए हुए यह नगर पर्यटकों को आकर्षित करता है। रानीखेत समुद्र तल से 1820 मी0 ऊॅचाई पर स्थित है। तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है। सुहावने व साफ मौसम में हिमशिखरों का दृश्यावलोकन अवर्णनीय है। प्लम , वेरी स्ट्राबेरी , चैस्टनेट, काफल, बुराश के फलों से लदे वृक्ष तथा रंग बिरंगे ग्लाईडोनिया ,जिरेनियम, जिनिया फ्यूस, गेंदा गुलदावरी, गुलाब, विगोनियॉ आदि पुष्पों से लदे बगीजे व पार्को के चित्ताकर्षण दृश्य पर्यटक को इस स्थल पर रूकने व पर्वतीय सौन्दर्य का आनन्द लेने को बरबस रोक लेते है। आवास हेतु पर्यटक आवास गृह के अतिरिक्त निजी होटल भी उपलब्ध है ।

मानिलाः–

मानिला रानीखेत से 87 किमी0 एवं रामनगर से 75 किमी0 की दूरी पर स्थित मानिला नामक स्थान आत्मचिंतन, योगध्यान, वन्य प्राणी हिमांच्छादित हिमशिखरों के लिये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है । आवास हेतु मार्गीय सुविधा/वन विश्राम गृह उपलब्ध है। दर्शनीय स्थलों में प्राचीन मानिला देवी तथा शक्तिपीठ मानिला का मंदिर स्थित है।

दूनागिरीः–

जनपद मुख्यालय से 70 किमी0 की दूरी पर द्वाराहाट तहसील मुख्यालय है। यहां से 14 किमी0 की दूरी पर दूनागिरी का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना सन् 1187 में हुई थी। पुराणों के आधार पर दूनागिरी उर्फ दुरांचल पर्वत जिसमें वैष्णवी शक्ति पीठ है, जनपद के दर्शनीय स्थलों में से एक है। दूनागिरी मन्दिर क्षेत्र में अनेक औषधीय पौधों का भण्डार है। यहां की जड़ी–बूटियों के बारे में मत है कि उसके प्रयोग का तात्कालिक प्रभाव होता है क्योंकि कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय एक टुकड़ा इस स्थान पर गिर गया था।

कटारमलः–

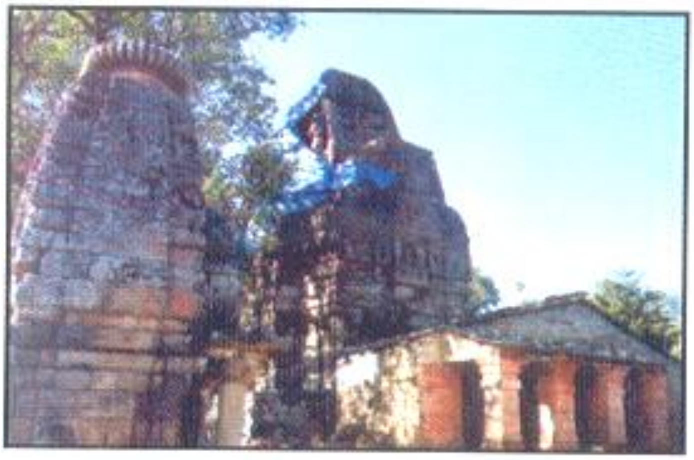	कटारमल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। यह अल्मोडा से 14 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इसके समीप गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया गया है।

गणानाथः –

अल्मोड़ा से 47 किमी दूरी पर ताकुला के निकट गणानाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है इसकी चोटी पर मल्लिका देवी का मंदिर है।	

तड़ागताल:–

यह स्थान रानीखेत से 63 किमी और चौखुटिया से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां पर सुन्दर बरसाती ताल है।

चितई का गोलू (ग्वाल) देवता मन्दिर:–

जनपद अल्मोड़ा के कई धार्मिक स्थलों में चितई स्थित ग्वाल (गोलू देवता) का मंदिर लोक आस्था का प्रमुख केन्द्र है। गौर भैरव रूप में मान्य इस देव मंदिर में आम जन अपनी मनौती पूरी करने की आशा के साथ आते हैं और न्याय की गुहार करते है। मान्यता है कि ग्वाल देवता के दरबार में की गयी न्याय की गुहार का प्रतिफल षीघ्र मिलता है। मान्यता है कि चंद षासकों द्वारा अल्मोड़ा में राजधानी बनाने से पूर्व इसका अस्तित्व था। भोलानाथ, गंगनाथ व हरज्यू समेत अन्य लोक देवताओं के जागर में ग्वाल चम्पावत के राजा थे। उनके पिता राजा झालराई निःसन्तान थे। उन्होने गौर भैरव की स्थापना की। प्रसन्न होकर गौर भैरव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान इस शर्त के साथ दिया था कि सात रानियां होने के बावजूद भी राजा को एक विवाह कलिंगा से करना होगा। राजा के कलिंगा से विवाह के बाद कालान्तर में स्वयं गौर भैरव ने ग्वैल के रूप में उनके घर में जन्म लिया, परन्तु इर्ष्यावश सातों रानियों ने शिशु को नदी में बहा दिया। एक मछुवारे को यह शिशु मिला। उसी मछुआरे ने बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर वह बालक चम्पावत राज दरबार के निकट पहॅुचा और लकडी के घोडे को नौले में पानी पिलाने लगा। रानियों ने उसकी हंसी उड़ायी कि कहीं काठी का घोड़ा भी पानी पीता हैं। बालक ने जवाब दिया कि यदि कोई महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो काठी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह बात राजा तक पहॅुचने पर उन्होंने रानियों को दण्डित किया। यही बालक ग्वाल कई वर्षो तक चम्पावत के राजा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक सूचना केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र, बारात घर का निर्माण करवाया गया है।

द्वाराहाट मन्दिर समूह:–

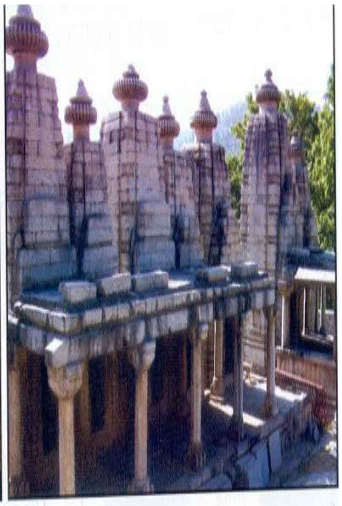

जनपद अल्मोड़ा से 70 किमी की दूरी पर स्थित द्वाराहाट हिमालय की द्वारिका के नाम से जानी जाती है। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होने यहां 30 मन्दिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया। रूहेलों के आक्रमण के समय एवं विशाल समय अन्तराल के पश्चात बचे हुए मन्दिर उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इन मन्दिरों का निर्माण काल 11वीं शताब्दी बताया है। कत्यूरी राजाओं ने द्वाराहाट में उत्तरी दिषा में द्वारिकापुरी बनाने का प्रयत्न किया था। द्वाराहाट के मन्दिर समूहों में रतन देव, कचहरी, मनदेव, बूजरदेव, मृत्युंजय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरीसिद्ध देव मंदिर समूह नामक अलग–अलग मंदिर समूह है। पर्यटन, सांस्कृतिक विकास के लिए इन मंदिरों का काफी महत्वपूर्ण स्थान हैं वर्ष भर मंदिर में स्थानीय लोगो एवं पर्यटको की भीड़ रहती है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये बेजोड़ है। महामृत्युंजय तथा गुजरदेव मंदिर का विशिष्ट स्थान है। स्थानीय जनों में इन मंदिरो के प्रति काफी आस्था है। गुजरदेव मंदिर वास्तु शैली एवं पुरातत्व की दृष्टि से सबसे अनूठा है। इसे गुजरदेवालय के नाम से भी जाना जाता है। यह देवालय द्वाराहाट नगर में शालदेव पोखर के निकट एक ऊँची जगती पर बनाया गया हैं ।

वानड़ी देवी मंदिर :–

जनपद मुख्यालय से 25 किमी की दूरी पर पूर्व की ओर बॉज और बुरास के घने जंगलो के मध्य वानरी देवी का मंदिर है जिसे विन्ध्यवासिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहॉ आने वाले भक्तों को की मनोकामनायें देवी पूरी करती हैं। इस कारण यहॉ वर्ष भर भक्तों की अपार भीड़ रहती हैं।

हैड़ाखानः–

जनपद मुख्यालय से 55 किमी की दूरी पर रानीखेत तहसील में हैडाखान मंदिर स्थित है। यह मंदिर चिलियानौला नामक स्थान पर स्थित है। 19 वीं सदी के अंतिम समय में सोमवती महाराज यहॉ आये थे। वे सिद्ध महात्मा थे।

हैड़ाखान बाबा के सिद्ध पुरूष व योगी होने को भी सिद्ध करते हैं। हैड़ाखान में विदेशी पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है।

आदि शक्ति नंदाः—

एटकिंषन ने अपने गजेटियर में एक स्थान पर लिखा है कि 'शक्तिस्वरूपा नंदा देवी हिमालय प्रान्त में सर्वप्रिय हैं। उत्तराखण्ड में नंदा के नाम से पर्वत चोटियों, नदियों और नगरो के नाम पड़ने से स्पष्ट होता है कि देवी नन्दा का यहॉ विशद प्रभाव पड़ा हैं। वैष्णों परम्परा में नन्दा को योगमाया नंदा कहा गया है ।

नंदा जागर एंव भगवती नंदाः—

नंदा जागर सृष्टि रचना के वृतान्त में 'पंख' और 'पंखडी' के मेल से अंडे की उत्पति हुयी। पंखडी को हिमालय में जाकर आदिशक्ति नंदा (पार्वती) बताया गया। नंदा जागर के आधार पर कहा जा सकता हैं, कि पूजा के दिन जो भैसा (जतिया) मारा जाता हैं। वह महिष राक्षस का प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त सात अन्य बलियॉ भी दी जाती हैं। उत्तराखण्ड का पष्चिमी भाग पार्वती का मायका माना जाता हैं। पूजा के अवसर पर यहॉ के लोग पार्वती रूपी नन्दा को अपनी बहन, बेटी के समान विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुशोभित करते हैं। देव भूमि अल्मोड़ा में अष्ट भैरव और नौदुर्गा का वास हैं। इन नौ दुर्गा में से एक नन्दादेवी हैं।

कसारदेवीः—

अल्मोड़ा नगर से 8 कि0मी0 की दूरी पर कष्यप (कासाय) पर्वत के नाम से कौषिकी का मंदिर है। पुराणों के अनुसार षुम्भ—निषुम्भ दैत्यों का नाश करने के लिए पार्वती यहॉ कौषिकी के रूप में प्रकट हुयी है। इसी कारण कालान्तर में यह स्थल कसारदेवी के नाम से जाना जाने लगा। इस स्थल से हिमशिखरों के दर्शन भी होते है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण होने के कारण यह स्थान विदेशी पर्यटकों व लेखकों के लिए अत्यन्त अनुपम स्थल है।

जलनाः—

अल्मोड़ा से 32 कि0मी0 की दूरी पर स्थित जलना नामक स्थान समुद्र सतह से 5500 फीट की ऊॅचाई पर स्थित अति रमणीय पर्यटक स्थल है । जलना के चारों ओर सेब व अन्य पर्वतीय फलों के बगीचे बिखरे पड़े है। यहॉ से हिमालय की चोटियों का अत्यन्त विहंगम दृश्य दिखाई देता है। जलना से लगभग 2 कि0मी0 की दूरी पर प्रख्यात बानड़ी देवी का मंदिर है। आवास हेतु 40 शैय्याओं का पर्यटक आवास गृह उपलब्ध है।

उपट कालिकाः—

रानीखेत—अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर रानीखेत से 5 कि0मी0 दूरी पर स्थित उपट कालिका—गोल्फ कोर्स चारों ओर चीड़ के वनों से आच्छादित 9 होल वाला माउण्टेन रीजन का विष्व विख्यात गोल्फ कोर्स है इसका प्राकृतिक सौन्दर्य एवं हिमालय दर्षन के कारण यह फिल्म उद्योग जगत के आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा

है। गोल्फ कोर्स के समीप ही प्राचीन कालिका मंदिर एवं फारेस्ट नर्सरी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।

चौबटिया गार्डन(राजकीय उद्यान):–

रानीखेत से 10 कि0मी0 की दूरी पर स्थित चौबटिया गार्डन अपने प्राकृति सौन्दर्यता, विभिन्न प्रजातियों के फलों एवं पुष्पों के लिए विष्व विख्यात है। उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा राजकीय उद्यान चौबटिया में ही स्थित है। उक्त स्थल से नेपाल से लेकर गढ़वाल तक हिमालय श्रेणियां से दृष्टिगोचर होती है। एक अन्य पिकनिक स्पॉट भालू डै मात्र 3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। पैदल चलने के इच्छुक पर्यटकों के लिए यह स्पॉट अति उत्तम है।

नैथणा देवी:–

देवी षाक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध नैथणा देवी का मंदिर रानीखेत से 54 कि0मी0 चौखुटिया से 15 कि0मी0 एवं भिकियासैण से 4 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । रानीखेत–जालली मोटर मार्ग पर स्थित दौला नामक ग्राम से यहॉ पहुॅचने के लिए 4 कि0मी0 पैदल यात्रा तय करनी होती है। धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन हेतु यह स्थल अति उत्तम है।

पर्यावरण विकास:–

विश्व में पर्यावरण सम्बन्धी विचार धाराऐं वर्तमान समय में सुनाई देती है किन्तु इन समस्याओं के निदान के संदर्भ में किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं है। विश्व में कुछ स्थान ऐसे भी हैं। जहॉ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेन्टीग्रेट से अधिक पहुॅच जाता है। फसलें चौपट हो जाती हैं। तथा अकाल भूखमरी की स्थिति एवं जल श्रोत सूख जाते है। साथ ही जन धन हानि के साथ पशुधन का विनाश होता है उन्हीं प्रदेशों में शीत ऋृतु में जीवन यापन बेहद कठिन होता है, इसी जलवायु में होते जा रहे परिवर्तन को हम पर्यावरण पर्यटन कहते है। जैसा अवगत है कि हमारे वायुमण्डल के अन्तिम छोर पर अखबार के कागज के समान मोटाई वाली ओजोन परत घिरी हुई है जो कि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों में जो मानव जीवन को नष्ट करने में सक्षम हैं, को रोकती है। वायुमण्डल में स्थित वे पदार्थ जो आक्सीजन के घनत्व को कम करते है, वे ही ओजोन परत को कमजोर तथा पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाते है। ओजोन परत के न होने पर विश्व में हिमालय, राकी, एण्डीज और आल्पस जैसे हिमाच्छादित पर्वत नहीं होते और जाडों की धूप उतनी नुकसानदेह होती जितनी गर्मी की, लोग त्वचा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त रहते, फसलें, नदी नाले, समुद्र और बर्फ नहीं होती, जीवन जन शून्य अन्य ब्रहमाण्डीय गृहों के समान होता। वर्तमान समय में विश्व में पेड़ों की कटाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और भूमण्डलीय के कारण समस्त विश्व तथा भारत में भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देने लगा है। गर्मी में अधिक गर्मी तथा जाडों में अधिक ठण्ड तथा ऋतु चक्र में परिवर्तन होने के कारण मौसमी फसलों का जीवन चक्र बदल गया है। विश्व में समस्त पदार्थो का प्रयोग बन्द करना होगा जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुॅचा रहे हैं। तथा जिनसे निकलने वाली क्लोरो फलोरो कार्बन गैस, कभी भी नष्ट

न होने वाली पालीथीन प्लास्टिक के पदार्थो के विकल्प तलाशने होगें। इसके लिए हमें निम्न सुझावों पर ध्यान देना होगा

1. प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान रखते हुए वनीकरण के अन्तर्गत चौडी पत्ती वाले वृक्ष लगाने होगें। जो वातावरण में उत्पन्न दूषित गैसों को ग्रहण कर आक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करें। जिससे ओजोन परत का घनत्व बढ़ सके।

2. वे पदार्थ जो नष्ट न किये जा सकते हो उससे उत्पन्न होने वाली सामग्रियों के विकल्प उपलब्ध होने पर उन्हीं का उपयोग करें।

3. रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर पारम्परिक एवं प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग कर भूमि की उपज में वृद्धि कर सके उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

4. पर्यावरण संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के प्रत्येक वर्ग में किया जाना चाहिए। जिससे प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो सके तथा इसे शुद्ध रखने में अपना योगदान दे सके।

क्या करें:–

1. पालिथीन और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का प्रयोग हिमालय के पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। अतः यथा सम्भव इनका प्रयोग न करें।

2 .कैम्प/भ्रमण की समाप्ति पर खाली बोतलें खाली टिन के डिब्बे एवं पालीथीन बैग आदि को अपने साथ वापस लाकर नगर पालिका परिषद के कूडादान में डाले, जिससे उक्त कूडे को नष्ट किया जा सके।

3 धार्मिक स्थलों का यथोचित सम्मान करें तथा उनकी स्वच्छता बनाये रखें।

4. रेडियो टेप एवं अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों आदि का प्रयोग अत्यन्त धीमी आवाज में करें जिससे ध्वनि प्रदूषण न हों।

5. कैम्प स्थलों के समीप अस्थाई शौचालयों की यदि आवष्यकता हो तो उपयोग करने के पश्चात रेत अथवा मिट्टी से ढक दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आप पानी के स्रोत से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर है।

क्या न करें:–

1. प्राकृतिक सम्पदाओं, पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों को नुकसान न पहुँचायें तथा हिमालय क्षेत्र में अनेक पौधो की कटिंग बीज एवं जड़े निकालना पूर्णतया वर्जित किया जाय।

2. नदियों, तालाबों, झीलों एवं जलाषयों आदि को स्वच्छ रखें। कूडा करकट एवं डिटर्जेन्ट जैसे प्रदूषण इनमें न डालें।

3. भ्रमण के समय ईधन के प्रयोग हेतु लकडी का प्रयोग न करें, एवं किसी भी दषा में वहां लगी वन–सम्पदा को क्षति न पहुंचायें। कैम्प/भ्रमण के दौरान आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामाग्री साथ रखना या ले जाना वर्जित है।

3. वन क्षेत्र में जलती हुई सिगरेट अथवा अग्नि न छोड़े।

4. स्थानीय बच्चों को खाने पीने की चीजें देकर प्रलोभित न करें।

5. स्थानीय ग्रामवासियों के सामान्य जन जीवन में हस्तक्षेप न करें तथा कैमरे का प्रयोग पूर्वानुमति के बगैर न करें।

6. भ्रमण के दौरान मादक द्रव्यों अथवा नशीले पदार्थो का सेवन न करें।

अध्याय–21
सेवायोजन

जनपद अल्मोडा में वर्तमान में दो सेवायोजन कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, अल्मोडा एवं नगर सेवायोजन कार्यालय, रानीखेत संचालित हैं।

वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा के सेवायोजन कार्यालयों में कुल 11126 बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम पंजीकृत करवाया गया। नियोजकों से 13 रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये। जिसके विरूद्ध 337 अभ्यर्थियों का नाम संप्रेषित किया गया। वर्ष में 14 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया जा सका। वर्ष के अन्त में (31 मार्च 2015 तक) 68926 बेरोजगार अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध थे।

30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में सार्वजनिक क्षेत्र में 374 नियोजक है। जिनके यहां 16474 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है तथा निजी क्षेत्र के अर्न्तगत 58 नियोजक हैं। जिनके यहां 2003 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय में स्थापित व्यवसाय मार्ग निर्देषन इकाई के अर्न्तगत अभ्यर्थियों को व्यवसाय मार्ग निर्देषन प्रदान किया जाता है। इस कार्यालय के अन्तर्गत प्रषिक्षण सुविधाओं व स्वतः नियोजन आदि की अध्यावधि जानकारी से बेरोजगार अभ्यर्थियों को भिज्ञ कराया जाता है।

वर्ष 2014–15 (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) में 1949 अभ्यर्थियों को पंजीयन के समय मार्ग निर्देषन दिया गया, जिससे 2113 अभ्यर्थियों ने सामूहिक वार्ताओं में भी भाग लिया। व्यक्तिगत रूप से 60 अभ्यर्थियों ने विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर व्यक्तिगत मार्ग निर्देषन प्राप्त किया। ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक रोजगार सहायता उपलब्ध नहीं हुई है, उन अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन आदि की जानकारी देकर इन मामलों का पुर्नावलोकन किया गया। जिसके अन्तर्गत 36 अभ्यर्थियों द्वारा पुर्नावलोकन का लाभ उठाया गया।

षिक्षण मार्गदर्षन केन्द्र क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा में वर्ष 2014–15 में टंकण वर्ग के अर्न्तगत कुल 55, आषुलिपि वर्ग में 8, प्रशिक्षणार्थियों को इस षिक्षण केन्द्र में प्रवेष दिया गया। तीन सत्र पूर्ण होने पर 22 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की एवं इन अभ्यर्थियों को प्रषिक्षण पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र दिये गये। षिक्षण एवं मार्गदर्षन केन्द्र द्वारा 6 माह एवं 1 वर्षीय प्रषिक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर, टंकण आषुलिपि भाषा (हिन्दी), सामान्य, ज्ञान सचिवीय पद्धति बुक कीपिंग एवं एकाउन्टेंसी तथा अंकगणित एवं व्यक्तित्व विकास का प्रषिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में इस केन्द्र के अर्न्तगत 20 प्रषिक्षणार्थी अध्ययनरत हैं।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा में आजीविका परामर्ष केन्द्र (कैरियर काउंसिलिंग सैन्टर) प्रगति की ओर अग्रसर है। इस कार्यालय में प्रत्येक माह कैरियर काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसमें वर्ष 2014–15 के अर्न्तगत

4030 बेरोजगार अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रषिक्षणों, सेवायोजन तथा स्वतः नियोजन के अवसरों की जानकारी दी गयी।

कैरियर काउंसिलिंग सैन्टर अल्मोड़ा तथा इससे संबंधित 05 नोडल कैरियर काउंसिलिंग सैन्टर की 34 शाखाओं द्वारा कैरियर काउंसिलिंग सम्बन्धित साहित्य के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना सभी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जा रही है।

अध्याय–22
निर्बल वर्ग हेतु कल्याणकारी योजनायें
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अल्मोड़ा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वतः रोजगार में स्थापित कर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है तथा उनकी क्षमता विकास दर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ करना है। योजना का क्रियान्वयन स्वंय सहायता समूह गठित कर, उन्हें ऋण, ब्याज उपादान, तकनीकी प्रषिक्षण, अवस्थापना तथा विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा 01.04.2013 से राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अर्न्तगत असघन श्रेणी से आच्छादित है तथा पंच सूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा, नियमित ऋण का संचालन,समय से ऋण तथा ब्याज वापसी) का पालन करने वाले सक्रिय महिला समूहो को ही रिवाल्विंग फण्ड, ऋण, ब्याज उपादान, तकनीकि प्रषिक्षण, अवस्थापना तथा विपणन वयवस्था आदि उपलब्ध करवायी जानी है। एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 178 सक्रिय महिला समूहो को 17.80 लाख रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया तथा 12 समूहो को वित्त पोषण (ऋण 21.15 लाख रू0स्वीकृत एवं 13.0 लाख रू0 वितरित) किया गया।

इन्दिरा आवास योजनाः–

आवास मानव की एक मौलिक आवश्यकता है। यह मानव जीवन और एक सम्मान जनक जीवन यापन की एक बुनियादी जरूरत है। मूलरूप से इन्दिरा आवास योजना बेघर और जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारो के लिये सार्वजनिक आवास योजना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारो को सरकार द्वारा कुछ वित्तीय और तकनीकि सहायता उपल्ब्ध करा कर उन्हें अपने मकान बनाने के कार्य में मदद करने के लिये बनाई गयी है। बी0पी0एल0 परिवारो के लिये समय–समय पर सुझाये जाने वाले मादंडो का अनुपालन करते हुये, इन परिवारो का निर्धारण ग्रासभाओ के माध्यम से

समुदाय द्वारा किया जाता है। योजना में प्रति आवास पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 75000 रू0 मात्राकृत है। आवास में शौचालय, धूमरहित चूल्हा, आवास नाम पट्टिका होना आवष्यक है।

योजनार्न्तगत वर्ष 2014–15 में 231.83 लाख रू0 वार्षिक परिव्यय निर्धारित तथा 1–4–2014 को 2.936 लाख रू0 गत वर्ष का शेष था। वर्ष 2014–15 में 205.489 लाख रू0 केन्द्रांश तथा 72.176 लाख रू0 राज्यांष के रूप में शासन से अवमुक्त हुआ। 2.831 लाख अन्य प्राप्ति रही। इस प्रकार योजना में वर्ष 2014–15 में कुल उपलब्ध धनराषि 283.432 लाख रू0 के सापेक्ष 253.911 लाख रू0 व्यय कर 101 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 206 आवास पूर्ण कराये गये।

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना :–

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0 32000.00 मात्र है, योजना में लक्षित है। योजना के अर्न्तगत आवास निर्माण हेतु रू0 10000.00 अनुदान तथा 40000.00 रू0 बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014–15 में शासन से 22.00 लाख रू0 की धनराशि अवमुक्त हुई है तथा 0.10 लाख अन्य प्राप्ति रही एवं 6.454 गत वर्ष का अवशेष था । इस प्रकार योजनार्न्तगत कुल उपलब्ध धनराशि 28.554 लाख रू0, के सापेक्ष 28.50 लाख रू0 व्यय कर 220 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 285 आवास पूर्ण कराये गये।

उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजनाः–

योजना के अर्न्तगत ऐसे इच्छुक युवक/युवतियों, पुरूषों एवं स्त्रियों हेतु स्वरोजगार लक्षित करती है, जो स्थानीय रूप में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते है। इसके अर्न्तगत ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायतित किसी भी ऋण सह अनुदान स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्रों में नियमित रूप से सेवायोजित न हो, पात्रता की श्रेणी में आता है। योजना में 23 प्रतिषत अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एवं 33 प्रतिषत महिलाओं एवं 3 प्रतिषत विकलांगो का आच्छादन किया जाना है। योजना के अर्न्तगत चयनित क्रियाकलापों/गतिविधियों के लिए प्रथम वर्ष 7000.00 द्वितीय वर्ष 5000.00 प्रोत्साहन अनुदान एवं तृतीय वर्ष में रू0 3000.00 प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्नातक या उससे अधिक षिक्षित स्वरोजगारी को अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत है। अनुदान की राषि किसी भी दषा में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

योजना के अर्न्तगत वर्ष 2014–15 में 3.691 लाख रूपया 1–4–2014 का अवषेष था। तथा षासन से 4.58 लाख रू प्राप्त हुआ है एवं रू0 0.336 अन्य प्राप्तियां रही। इस प्रकार योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराषि 8.607 लाख रू0 के सापेक्ष 7.91 लाख रूपया व्यय कर लिया गया । षासन के निर्देषानुसार योजना में विगत वर्षो में वित्तपोषित स्वरोजगारियों को ही अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किस्त देकर लाभान्वित किया गया।

सांसद क्षेत्र विकास योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत माननीय संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये तक की लागत वाले निर्माण कार्य करवाए जाने का सुझाव दे सकते है। राज्य सभा के निर्वाचित माननीय सदस्य जिस राज्य से वे चुन कर आये है, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन इस योजना के अन्तर्गत अपनी पसंद के निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु संस्तुति कर सकते है।

नोडल जनपद के रूप में योजना में वर्ष 2014–15 की धनराशि माह मार्च 2015 के अन्तिम सप्ताह में 250.00 लाख रू0 प्राप्त हुआ। जनपद अल्मोड़ा को कुल उपलब्ध धनराशि 102.00 लाख रू0 के सापेक्ष 46.15 लाख रू0 के 34 कार्य स्वीकृति किया गया।

विधायक क्षेत्र विकास निधिः–

इस योजना के अर्न्तगत विधान सभा के प्रत्येक मा0 सदस्य 200.00 लाख रू0 की धनराषि तक निर्माण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव दे सकते है। योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होने तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है ।

वर्ष 2009–10 में कुल उपलब्ध धनराषि 1400.00 लाख रू0 के सापेक्ष 1350. 35 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका है और 49.65 लाख रू0 की धनराषि अवषेष है। वर्ष 2010–11 में कुल उपलब्ध धनराषि 1400.00 लाख रू0 के सापेक्ष 1345.88 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका है और 54.12 लाख रू0 की धनराषि अवषेष है। वर्ष 2011–12 में 1750.00 लाख रू0 अवमुक्त हुआ है जिसके सापेक्ष 1633.29 लाख रू0 व्यय किया जा चुका है और 116.71 लाख रू0 की धनराशि अवशेष है। वर्ष 2012–13 में अवमुक्त धनराशि 1500.00 लाख रू0 के सापेक्ष 1395.56 लाख रू0 104.44 अवशेष है। वर्ष 2013–14 में अवमुक्त धनराषि 1500.00 लाख रू0 के सापेक्ष 913.66 लाख रू0 व्यय किया जा चुका है और 586.34 लाख अवषेष है। वर्ष 2014–15 में अवमुक्त 1648.268 लाख रू0 के सापेक्ष 418.165 लाख रू0 व्यय किया गया है अवशेष धनराशि रू0 1230.103 लाख रू0 अवशेष है।

अध्याय–23
ग्राम्य– विकास

1 एकल पेयजल योजनाः–

त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को मुहैया कराये जाने के दृष्टिकोण से षासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम्य की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अनुरक्षण/देख–रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाऐं जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हो। योजना के अन्तर्गत योजना में कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत का अंश तथा 90

प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति ,तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्वात स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत के स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

जनपद अल्मोड़ा में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31 मार्च, 2015 तक योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार प्रगति रही हैः–

1. वर्ष 2003–04 से वर्ष 2014–15 तक कुल स्वीकृत योजनाऐंः– 103
2. वर्ष 2003–04 से वर्ष 2014–15 तक पूर्ण की गई योजनाऐंः– 95
3. योजनाऐं जो प्रगति पर हैं की संख्या 8
4. वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध धनराशि 4.609 ला0रू0
5. वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय की गई धनराशि 2.257 ला0रू0
6. अवशेष धनराशिः– 2.352 ला0रू0

2– दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजनाः–

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई है, जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी होते है, योजना में बी0पी0एल0 में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवारों को जो प्रतीक्षा सूची में छूट गये हों, को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करने के बाद चयनित परिवारों की सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है । आवासविहीनता के साथ–साथ अधिकतम रू0 21000/वार्षिक आय सीमा के ग्रामीण आवासविहीन परिवारों को पात्रता श्रेणी में इस प्रतिबन्ध के साथ रखा जाता है कि आय प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी से न्यून स्तर का न हो ।

जनपद अल्मोड़ा में योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति निम्नवत् रही है :–

1. वर्ष 2013–14 के अवषेष आवास 33
2. वर्ष 2014–15 में आंवटित आवास 35
3. कुल आवास 68
4. वर्षान्तर्गत पूर्ण किए गए आवासों की संख्या 33
5. प्रगति पर रहे आवास 35
6. दिनांक 01.04.2014 को अवषेष धनराषि 6.17 लाख रू0
7. वर्षान्तर्गत आवंटित धनराषि 26.25 लाख रू0
8. अन्य प्राप्तियां 0.486 लाख रू0
9. वर्षान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराषि 32.906 लाख रू0

10. वर्षान्तर्गत व्यय धनराषि 19.180 लाख रू0

11. अवषेष धनराषि 13.726 लाख रू0

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 17 आवासों की धनराषि रूपया 1313000.00 (तेरह लाख तेरह हजार रूपया मात्र) की धनराषि दिनांक 31 मार्च 2015 को प्राप्त हुई है।

3–राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रमः–

बायोगैस कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, देष में ऊर्जा के बचत के दृष्टिकोण से योजना संचालित की जा रही है। इसमें ऐसे कृषकों का चयन किया जाता है जो संयंत्र स्थापित किये जाने के इच्छुक हो, जिसके अपने स्वयं के पास पॉच या उससे अधिक जानवर हों, उसके निवास के आस–पास पानी की प्रचुर मात्रा हो। कृषक का चयन विकास खण्ड स्तर से किया जाता है, और विकास खण्ड से ही अधिकतम जानकारी मुहैया करायी जाती है। चयन के पष्चात आवेदन पत्र प्राप्त कर संयंत्र का तकनीकी आंगणन विकास खण्ड के तकनीकी स्टाफ द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी सूचना जिला स्तर को दी जाती है। जनपद के अन्तर्गत पूर्व वर्षो में संयंत्रों के निर्माण हेतु कुछ राज मिस्त्रियों को प्रषिक्षित किया गया है जिनके द्वारा मांग के आधार पर संयंत्र निर्मित किए जाते है, इसके अलावा कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे पॉल हिमालयन, कालिका , रानीखेत द्वारा भी संयंत्र निर्माण हेतु टर्नकी ऐजेन्सी का कार्य किया जा रहा है। जनपद में भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रायः 02 घन मीटर आकार के संयंत्र स्थापित किए जा रहे है, जिसमें मुवलिंग 10000.00 की सब्सिडी तथा मु0 1500.00 टर्नकी एजेन्सी फीस निर्धारित में दी जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा में योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की स्थिति निम्नवत् रही है :–

1. वर्ष 2014–15 का संयंत्र निर्माण का लक्ष्य 25
2. वर्ष 2014–15 की पूर्ति/संयंत्र निर्माण 25
3. प्रगति प्रतिशत 100

4–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः–

जनपद अल्मोड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 01 अप्रैल 2008 से तृतीय फेज जनपद के रूप में क्रियान्वित हुई है। योजना का उद्देष्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क अकुषल षारीरिक श्रम कार्य करना चाहते है को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनां का गांरटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है जिससे सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर ग्रामीण भारत में सामावेषी विकास सुनिष्चित हो सकें। वर्तमान तक वर्षवार वित्तीय/भौतिक प्रगति निम्नवत है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अनुरूप योजनान्तर्गत की गई मुख्य बिन्दुओं की प्रगति विवरण निम्नवत हैः–

1–पंजीकरणः–

जनपद अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 127000 है। ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार के इच्छुक परिवारों में से माह मार्च, 2014 तक कुल 102480 परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है ।

2–जॉब कार्डः–

जनपद अल्मोड़ा में पंजीकृत परिवारों में से माह मार्च 2015 तक 102480 परिवारों को जॉब कार्ड वितरण किये जा चुके है। जिसमें 30360 अन0जाति, 18 अनु0 जनजाति एवं 72102 सामान्य श्रेणी के परिवार है।

3.बैंक एवं पोस्ट आफिस खाताः–

इस योजना अन्तर्गत श्रमिकों को बैंक/पो0आ0 खातों के माध्यम से धनराशि भुगतान की जा रही है। जनपद में योजना प्रारम्भ से चालू वित्तीय वर्ष के माह मार्च 2015 तक 102480 जॉब कार्ड धारकों के कुल 82602 खाते बैंक एवं 19878 खाते पो0ऑ0 खोले गये हैं। इस प्रकार कुल 102480 खाते खाले गये हैं।

4. सामाजिक अंकेक्षण(Social Audit) :–

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में 1168 ग्राम पंचायतों का Social Audit सम्पादित किए जाने के लिए षासन से प्राप्त निर्देषनुसार प्रथम चरण में 1160 ग्राम पंचायतों का Social Audit किया गया है।

5. **मस्टर रौल सत्यापनः–**

जनपद में रा0ग्रा0रो0गा0 योजनान्तर्गत मस्टर रौल सत्यापन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह मार्च 2015 तक 19582 मस्टर रौल उपयोग में लाये गये जिसके सापेक्ष 16104 मस्टर रौलों का सत्यापन किया गया।

6.निरीक्षण/सत्यापनः–

इस योजनान्तर्गत निर्मित/निमार्णाधीन कार्यो के निरीक्षण सत्यापन की कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह मार्च 2015 तक 4221 कार्यो के सापेक्ष 151 कार्यो का जिला स्तर से एवं 1206 कार्यो का विकास खण्ड स्तर से सत्यापन किया गया ।

7. बीमा योजनाः–

इस योजनान्तर्गत समस्त पंजीकृत परिवारो को जनश्री बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादन हेतु कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर कार्यवाही सुनिष्चित की जा रही है।

8. टॉलफ्री दूरभाष एवं षिकायत निस्तारणः–

जनपद में टालॅफ्री फोन स्थापित कर स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कर दिया गया है। जनपद का Toll Free

दूरभाष न0 18001804121 एंव फोन न0 फैक्स न0 05962–234896 है। योजनान्तर्गत विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर षिकायतों के निस्तारण हेतु षिकायत पेटिकाएं स्थापित कर दी गई है।

9. स्टेटस ऑफ एम0आई0एस0:–

विकास खण्डों में एम0आई0एस0 के तहत योजनान्तर्गत पंजीकरण, जॉबकार्ड वितरण, फंड मैनेजमेंट वर्क मैनेजमेंट मस्टरॉल इन्ट्री, लॉन कनेक्टिविटी, ब्रॉड बैंड स्थापना स्वान केन्द्र आदि से डाटा एन0आर0ई0जी0एस0 वेव साइड पर आन लाईन की गई है।

10. मनरेगा के साथ रेखीय विभागों की योजनाओं के Convergcnce/Dovetailing:–

शासन के निर्देश के क्रम में मनरेगा के साथ रेखीय विभागों की योजनाओं Convergcnce/ Dovetailing के तहत रेखीय विभागों को कुल 3452 योजनाएं Convergcnce के तहत स्वीकृत कर रू0 3575.20 लाख की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010–11,वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तक रू0 719.979 लाख एवं वर्ष 2014–15 में रू0 334.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार कुल (रू0 1053.979–158.749) रू0 895. 23 लाख मात्र अवमुक्त की जा चुकी हैं। जिसके सापेक्ष कुल 869.101 लाख रू0 व्यय की जा चुकी है।

11. महात्मा गॉधी एन0 ई0 जी0 ए0 के अन्तर्गत कर्मियों की व्यवस्था:– जनपद द्वारा चयनित सेवादाता एजेन्सी के अतिरिक्त कार्मिकों की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में विकास खण्डों में कुल 20 अवर अभियंता, 11 कम्प्यूटर सहायक, 37 ग्राम स्वरोजगार तथा 06 उप कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत है, जनपद स्तर पर 01 जिला अभियन्ता कार्यरत है।

13. कार्ययोजना एवं श्रम बजट:– शासन के निर्देश के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेत संशोधित रू0 2930.20 लाख की धनराशि का श्रम बजट के सापेक्ष अब तक केन्द्रांष के रूप में 1550.44 लाख रू0 तथा राज्यांष के रूप में 170.56 लाख रू0 तथा गतवर्ष का अवशेष 57.398 लाख रू0, अन्य प्राप्तियॉ 32. 509 लाख रू0 सहित कुल उपलब्ध धनराशि 1810.907 लाख रू0 है। जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2015 तक 1805.904 लाख रू0 का व्यय कर लिया गया है।

अध्याय–24
समाज कल्याण

1–अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 728.03 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 39017 छात्र/छात्राओं तथा अनुसूचित जनजाति में 26.17 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 219 छात्र / छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2– पिछडी जाति छात्रवृत्तिः–इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले पिछड़ी जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में रू0 88.73 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 2922 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

3–अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में रू0 3.04 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 381 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4– विकलांग छात्रवृत्तिः– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले विकलांग छात्र/छात्राओं तथा विकलांग अभिभावकों के पाल्यों छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में रू0 1.02 लाख के सापेक्ष की धनराशि व्यय कर 126 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

5–वृद्धावस्था पेंषन :–योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते है को रू0 800 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंषन का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 3711.56 लाख की धनराशि व्यय कर 37326 वृद्धजनों को लाभान्वित किया।

6–विकलांग भरण पोषण अनुदान :–योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक के विकलांजन जिनकी विकलांगता का प्रतिषत 40 या इससे अधिक है। तथा जिनकी मासिक आय रू0 4000/–प्रतिमाह से कम है, को रू0 800/–प्रतिमाह की दर से पेंषन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में रू0 462.99 लाख की धनराषि व्यय कर 4942 विकलांगजनों को लाभान्वित किया गया।

7–विकलांग दम्पत्ति को विवाह प्रोत्साहनः–ः–योजनान्तर्गत सामान्य द्वारा विकलांग महिला/पुरूष से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/–का प्रोत्साहन दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 1.69 लाख व्यय कर 10 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

8–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ः–योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 59 की आयु के मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को रू0 10,000 वर्तमान में रू0 20,000 प्रति परिवार आर्थिक सहायता दी जाती है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा जिनके पुत्र बाल्कि नही है। को यह लाभ प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में रू0 44.20 लाख की धनराशि व्यय कर 222 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

9–विधवा पेंषन ः– योजनान्तर्गत 18 से अधिक वर्ष की आयु की विधवा महिला जिनकी मासिक आय रू0 4000/–से कम है को रू0 800 प्रतिमाह की दर से पेंषन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में रू0 1134.41 लाख की धनराषि व्यय कर 12478 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

10–परित्यक्ता पेंषन– योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला,मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी,निराश्रित आविवाहित महिलाओं को रू0 400/– प्रतिमाह की पेंषन दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2014–15 में रू0 12.85 लाख की धनराषि व्यय कर 215 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

11–षादी बीमारी अनुदानः–अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 15,000 वार्षिक आय तक है। तथा अधिकतम दो पुत्रियों की षादी के लिये रू0 50,000 तथा गम्भीर बीमार रूप से बीमार व्यक्ति के ईलाज हेतु रू0 10,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–2015 में रू0 120.10 लाख व्यय कर 249 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

12–अटल आवास योजनाः–अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 32,000 वार्षिक आय है। तथा आवासहीन है, को रू0 38,500 की आर्थिक सहायता आवास एवं षौचालय निर्माण हेतु दी गयी है। वर्ष 2014–2015 में 20.79 लाख रू0 व्यय कर 54 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

13–गौरादेवी कन्याधन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्राओं को जिनके परिवारों ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 15976 तथा षहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 21206 है अधिकतम दो पुत्रियों तक रू0 25000.00 के एन0ए0सी षिक्षा प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। वर्ष 2014–15 में 1979.00 लाख रू सापेक्ष व्यय कर 3956 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

14 विधवा की पुत्री के विवाह हेतु अनुदानः–विधवा पेंषन प्राप्त कर रही महिला की पुत्री के विवाह हेतु रू0 50,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में रू0 40.50 लाख का आंवटन प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष 81 विधवा महिलाओं को षादी हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया।

15–स्वतःरोजगार– इस योजना के अन्तर्गत बैकों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बी0पी0एल0 परिवारों को स्वतःरोजगार (जीविका उपर्जन) हेतु ऋण़ उपलब्ध करा कर 10 हजार रू0 ऋण के सापेक्ष अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2014–15 में 160

व्यक्तियों को 44.07 लाख ऋण उपलब्ध कराकर 16.00 लाख रू0 अनुदान दिया गया। तथा रू0 0.37 लाख मार्जिन मनी उपलब्ध करायी गयी है।

अध्याय–25
जनपद में कानून व्यवस्था

जनपद अल्मोड़ा में कुल 8 थाने है जिसमें 4 नगरीय (3 पुरूष तथा 1 महिला) एवं 04 थाने ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।

दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2015 तक जनपद के रेगुलर पुलिस क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। पुलिस की सक्रिय एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप कानून व्यवस्था एवं अपराध की कोई गम्भीर घटना घटित नही हुई है।

अपरराधो का विवरणः–

डकैतीः– षून्य

हत्याः–वर्ष 2014 में 04 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें 03 अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। थाना लमगड़ा में पंजीकृत हत्या का 01 अभियोग विवेचनाधीन चल रहा है। जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध धारा–82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही संपादित हो चुकी है। वर्ष 2013 में इस षीर्षक में 02 अभियोग एवं वर्ष 2012 में भी 02 अभियोग पंजीकृत हुए है जिनमें बाद विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है।

लूटः– इस षीर्षक के अन्तर्गत 2014 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ ,जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। वर्ष 2013 में 01 अभियोग एवं वर्ष 2012 में 04 अभियोग पंजीकृत हुए है जिनमें सभी में बाद समाप्त विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है । विगत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में लूट के अभियोगों में समानता रही है।

देहज हत्याः–इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है। जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषि किया गया है, वर्ष 2013 में 02 अभियोग एवं वर्ष 2012 में भी 02 अभियोग पंजीकृत हुए सभी अभियोगों में बाद समाप्त विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है।

बलात्कारः–बलात्कार षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में 06 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें 06 अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है। वर्ष 2013 में 08 अभियोग पंजीकृत हुए , 04 अभियोगों में आरोप पत्र तथा 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये है। इस प्रकार वर्ष 2012 में कुल 05 अभियोग पंजीकृत हुए है जिनमें बाद में समाप्त विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये जा जुके है।

304 भादविः– आलोच्य अवधि में इस षीर्षक अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। विगत वर्षो में इस षीर्षक के अन्तर्गत कोई अभियोग पंजीकृत नही हुए है।

नकबजनीः–

नकबजनी षीर्षक के अन्तर्गत 07 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 04 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है। वर्ष 2013 में 09 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें से 05 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 04 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। वर्ष 2012 में कुल 10 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें से 05 अभियोगों में आरोप पत्र व 05 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये है।

बल्वाः–

इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में 03 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें बाद समाप्त विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है। वर्ष 2013 में 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें से 01 अभियोग में आरोप पत्र एवं 01 अभियोग खारिज हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2012 में इस षीर्षक 03 अभियोग पंजीकृत हुए है जिनमें से 01 में आरोप पत्र एवं 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है।

वाहन चोरीः–

इस ष्षीर्षक के वर्ष 2014 में 02 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है। वर्ष 2013 में 02 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें से 01 अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। एवं 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित की गई है। वर्ष 2012 में 03 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमे से 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये।

चोरी तार/बिजेली/टेलीफोनः–

तीन वर्षो में ट्रांसफार्मर इस षीर्षक के अन्तर्गत को अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

अन्य चोरी :–अन्य चोरी के षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कुल 06 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनके दौराने विवेचना 05 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2013 में कुल 13 अभियोग पंजीकृत हुए, दौराने विवेचना 01 अभियोग खारिज हुआ, 10 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। इस प्रकार वर्ष 2012 में 18 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें से 08 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 10 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

मोटर वाहन दुर्घटना (घातक/साधारण):–

इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कुल 13 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 10 अभियोगों मे आरोप पत्र, 01 अभियोग खारिज किया गया एवं 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित माननीय न्यायालय प्रेष्ति की गयी है। इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2013 में कुल 14 अभियोग पंजीकृत हुए दौराने 13 अभियोग में

आरोप पत्र एवं 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है। इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2012 में कुल 21 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है।

हत्या का प्रयासः—

इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 कुल 03 अभियोग पंजीकृत हुए। जिनमें बाद समाप्त विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किय जा चुके है। वर्ष 2013 में कुल 03 अभियोग पंजीकृत हुए, दौराने 02 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी है। इस प्रकार वर्ष 2012 में कुल 06 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें से 05 अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये है। विगत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में इस षीर्षक के अन्तर्गत समानती रही है।

अन्य भादंवि— उपरोक्त ष्षीर्षक के अतिरिक्त अन्तर्गत वर्ष 2014 में 52 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें से दौराने विवेचना 39 अभियोगों में आरोप पत्र, 10 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है, 01 अभियोग खारिज हुआ है। षेष 02 अभियोग विवेचनाधीन चल रहे है। इसी प्रकार वर्ष 2013 में 71 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें से दौरान विवेचना 65 अभियोगों में आरोप,04 अभियोगां मे अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषि की गयी है, 02 अभियोग खारिज हुए है। वर्ष 2012 में 64 अभियोग पंजीकृत हुए दौराने विवेचना 02 अभियोग खारिज किये गये, 55 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 07 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। विगत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में इस षीर्षक के अन्तर्गत आंषिक कमी आई है।ß

मुख्य निरोधात्मक कार्यवाही निम्न प्रकार हैः—

रा0सु0का0ः—

इस षीर्षक के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

गिरोह बन्द अधिनियमः—

इस अधिनियम के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई कार्यवाही नही हुई है।

टाडाः—

इस अधिनियम के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई कार्यवाही नही हुई है।

एन0डी0पी0एस0एक्टः—

इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कुल 03 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से तीनों अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये। इस प्रकार वर्ष 2013 में कुल 18 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 18 अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये। वर्ष 2012 में कुल 15 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किये गये है।

शस्त्र अधिनियमः—

इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कुल 05 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये हैं। वर्ष 2013 में कुल 09

अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं। वर्ष 2012 में कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

आबकारी अधिनियमः—

इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कुल 47 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें से 46 अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये हैं। वर्तमान में 01 अभियोग विवेचनाधीन चल रहा है। वर्ष 2013 में कुल 83 अभियोग पंजीकृत हुए, 83 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं। वर्ष 2012 में 75 अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किये गये है।

विस्फोटक अधिनियम/विस्फोटक पदार्थ अधिनियम :—

इस षीर्षक के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

जुआ अधिनियमः—

इस षीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है, वर्ष 2013 में इस षीर्षक के अन्तर्गत कुल 03 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है। इस प्रकार वर्ष 2012 में कुल 04 अभियोग पंजीकृत हुए। 04 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये है।

एम0वी0 एक्टः—

इसषीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में कुल 13891 वाहनों का, वर्ष 2013 में 13796 का एवं वर्ष 2012 में 8566 वाहनों का एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत तथा यातायात नियमों का उल्लघन करने पर चालान किया गया हैं।

आवष्यक वस्तु अधिनियमः—

इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2014 एवं वर्ष 2013 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है। वर्ष 2012 में 02 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये है।

81 पुलिस अधिनियमः—

इस शीर्षक अन्तर्गत वर्ष 2014 में कुल 522, वर्ष 2012 में 466 मामलों में कार्यवाही की गयी है। विगत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में इस ष्षीर्षक के अन्तर्गत कमी आई है।

अध्याय—26
आर्थिक समस्याऐं एवं सुझाव

1. चिकित्सा विभाग :—

जनपद में मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था।

जिसमें चाहरदीवारी निर्माण हेतु 17–3–2010 को रू0 96.61 लाख तथा दिनॉक 15.7.2010 को रू0 25 लाख कुल रू0 121.61 लाख कार्यदायी संस्था को हस्तगत किये गये थे। साथ ही पोथ फ्री स्टेट में 25 एकड़ भूमि कार्यदायी संस्था को उनलब्ध करा दी थी। परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। षासनादेष संख्या 398/XXViii/2011 दिनॉक 29.3.2011 द्वारा उक्त कार्य उ0प्र0रा0निर्माण निगम को सौप दिया गया। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कालेज की परिसर की 1789.30 रनिंग मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाना है। जिसमें से 1128.30 रनिंग मीटर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एंव 62.50 रनिंग मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. सिंचाई विभाग :–

कोसी बैराज की अघतन स्थिति :– कोसी बैराज की सर्वेक्षण एंव अनुसंधान हेतु रू0 33.40 लाख रूपया प्राप्त हुआ था। इस धनराषि में से 25.00 लाख रूपया यू0आई0पी0सी0प्रा0लि0 देहरादून को सर्वेक्षण एंव डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए भुगतान किया गया रूपया 8.00 लाख से सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त मानचित्र तैयार किये गये है। बैराज के विस्तृत सर्वेक्षण एंव डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु रूपया 84.28 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन धनावंटन हेतु षासन को प्रेषित किया गया है। जो अभी तक प्रतीक्षित है।

नगर अल्मोड़ा के ड्रेनैज सिस्टम :– नगर में ड्रेनैज सिस्टम को चुस्त–दुरूस्त किये जाने हेतु प्रषासन द्वारा आई0आई0टी0 रूड़की से डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु आई0आई0टी0 रूडकी द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने से पूर्व नगर के सर्वेक्षण हेतु रू0 33090/– की माग की गई है इस धनराषि को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तराखण्ड षासन देहरादून को जिलाधिकारी महोदय के ओर से 8.6.2011 को पत्र लिखा गया था परन्तु अभी तक स्थल निरीक्षण सम्बन्धि धनराषि अपेक्षित है। धनराषि प्राप्त होने पर स्थलीय निरीक्षण करवाकर डी0पी0आर0 तैयार कराया जायेगा।

3. जल निगम :–

खूँट पम्पिंग पेयजल योजना :–इस योजना हेतु विभाग को 444.60 लाख रूपये की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष षासन से 394.94 लाख रूपया प्राप्त हुआ था। इस घनराषि से योजना के 80 प्रतिषत कार्य पूर्ण कर लिये गये है। जोष कार्य प्रगति पर है। शेष धनराषि 49.66 लाख षासन से अपेक्षित है।

विक्टर मोहन जोषी जलाषय :– इस जलाषय के निर्माण हेतु 225.83 लाख की आवष्यकता थी। जिसके सापेक्ष 132.75 लाख रूपया विभाग को शेष धनराषि के आवंटन हेतु विभाग द्वारा प्राक्कलन षासन को प्रेषित किया गया है।

4. खेल विभाग :– अल्मोड़ा स्टेडियम में खेल मैदान की ऊपर बनी हुई टूटी सीढ़ियों की मरम्मत व खेल प्रतियोगिता के उदघाटन/समापन हेतु सीढ़ियों की मरम्मत एंव पवेलियन/मंच का निर्माण किया जाना है। खेल मैदान के चारो ओर जाली सहित नाली का निर्माण कर पानी के निकासी की व्यवस्था की जानी है। नवनिर्मित बैडमिन्टन हाल के पास से पिंलर लगाकर चैनजिंग रूम का निर्माणधीन

किया जाना है। साथ ही बैडमिन्टन हाल का रख–रखाव एंव विद्युत व्यवस्था सही होनी है तथा स्टेडियम में एक टी0टी0 हॉल एंव टोयलेट बाथरूम का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु आवष्यक कार्यवाही की जा रही है।

5. विधुत विभाग :– राजीव गॉधी ग्रमीण विधुतीकरण योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूरा करने में निम्नलिखित समस्यायें है –

1. मैसर्स आईकाम टेली0लि0 के उच्च अधिकारी कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अपनी रूचि नहीं ले रहें हैं।

2. कम्पनी के लोकल स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों,पैटी कान्ट्रैक्टर्स को समय से न ही सामग्री उपलब्ध हो पा रही है और न ही मैनपावर मिल पा रही है। न ही कार्य कराने के लिए आवश्यक धनराषि प्राप्त हो पा रही है, जिस कारण लोकल स्तर पर अपेक्षित प्रगति कम्पनी से नहीं ली जा पा रही है।

3. लगातार विभाग द्वारा अनुबन्ध की शर्तानुसार कम्पनी के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही करने हेतु उ0पा0का0लि0 मुख्यालय को लिखा जा रहा है।

4. जनपद में कई ग्राम ऐसे हैं जहॉ पूर्व में कम्पनी द्वारा लाईन भी बनायी गयी थी, लेकिन पिछली दो दैवीय आपदाओं से लाईनें एवं कार्य प्रभावित हुआ है परन्तु इन्हे भी कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है।

6. संस्कृति विभाग :– पं0 उदयशंकर नृत्स एंव संगीत अकादमी जो नृत्य सम्राट पंडित उदय षंकर जी की स्मृति में फलसीमा अल्मोड़ा में बनाय जा रहा है उस पर आज तक केंन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त 500.00 लाख तथा राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त 300.00 लाख इस प्रकार कुल 800.00 लाख प्राप्त हुए है। इस भवन का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा किया जा रहा है। उक्त 800.00 लाख जो निर्माण इकाई को दिये गये हैं में से 696.9 लाख की धनराषि व्यय हो चुकी है। शेष 102.49 लाख निर्माण इकाई के पास उपलब्ध है।

भवन में आडोटोरियम के कियान्वयन हेतु विद्युत एंव सिविल कार्यो के लिए 160.00 लाख की आवष्यकता होगी। जिस सम्बन्ध में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। उदयशंकर नृत्य एंव संगीत अकादमी कला दीर्धा/वीथिका प्रारम्भ किये जाने हेतु 7 लाख का प्रस्ताव तथा स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन वृत्त पर आधारित छायाचित्रों की प्रदर्षनी हेतु 1.20 लाख का प्रस्ताव निदेषालय के पत्र के क्रम में निदेषालय भेजा गया है।

7. षिक्षा विभाग :– राजीव गॉधी नवोदय विधालय चौनलिया अल्मोड़ा के वर्तमान में 259 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत है तथा 04 पूर्णकालिक व 12 अनुबंध पर अध्यापक कार्यरत है। विधालय भवन निर्माण के लिए पूर्व में रू0 700.35 लाख स्वीकृत हुए हैं। जिससे कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेष राजकीय निर्माण निगम अल्मोड़ा को अवमुक्त किया गया है। कार्यदायी संस्थ द्वारा भवन पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया गया है। भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित दरों पर धनराषि की मांग की गई है। परन्तु उनके द्वारा पुनरीक्षित आंगणन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्यालय में स्थायी रूप से पेयजल संयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्रांक 18196–99/नियोजन–1/2011–12 दिनॉक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा लिखा गया है

तथा सोलर गीजर सिस्टम को परिसर में स्थापित किये जाने हेतु वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेडा को लिखा गया है। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।
तो शायद जनपद की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके।

1:—कृषि हेतु उन्नतशील बीजों तथा कृषि यंत्रो का प्रचार—प्रसार किया जाना चाहिये। सिंचाई की सुविधा हेतु ऊॅचाई वाले क्षेत्रों में नदियों के पानी से नहरों तथा ऊचें क्षेत्रों में हौज, हाइड्रैम तथा गूल का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार पूर्ति की जा सकती है।

2:—फल उत्पादन, बी आर्थिक दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा पिछडे क्षेत्र में आता है, क्योंकि इस क्षेत्र का सम्पूर्ण भू—भाग पर्वतीय है कुछ क्षेत्र जो कि विकासखण्ड चौखुटिया तथा ताकुला के अन्तर्गत आता है, घाटी क्षेत्र में है। इस कारण यहॅा विकास की गति अत्यन्त धीमी है। इस जनपद की प्रमुख आर्थिक समस्याऐं निम्नवत् है।

1. इस क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जोकि मुख्यतः कृषि पर आश्रित है, भूमि अधिकतर वनों से आच्छादित होने के कारण भी अवशेष भूमि कृषि अयोग्य है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र काफी कम है 90 से 95 प्रतिशत कृषकों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है, ऐसी स्थिति में परम्परागत कृषि के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया जाना सम्भव नहीं है।

2:—कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर होने के कारण पानी की समस्या में सिंचाई की उपयुक्त मात्रा तथा उन्नतशील बीजों एवं रासायनिक उर्वरको का प्रयोग सम्भव नहीं हो पाता है।

3:—अधिकांशतया परम्परागत बीजों जैसे मडुवा, सॉवा, अनाजों की खेती पर ही निर्भर रहना पडता है, इस क्षेत्र में आलू एवं फलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, परन्तु शीतगृह एवं फल संरक्षण विधायन इकाईयों के अभाव में अधिकांश फल सब्जी सस्ते दामों में मैदानी क्षेत्रों में निर्यात हो जाती है तथा इस क्षेत्र में पुनः फल एवं सब्जियॉ बिक्री के लिए आयात की जाती है, जिस कारण ये काफी महॅगी होती है।

4:—यातायात सुविधा सुलभ नहीं है, वैसे विभिन्न निजी एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा यातायात एवं परिवहन की सुविधाऐं लागू की गई है परन्तु किराये की आपसी दरें अधिक होने तथा आर्थिक विकास न होने के कारण ग्रामों को कोई लाभ नहीं पहॅुचाया जा सकता है।

5:—पशुपालन के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। दुधारू पशुओं का औसत दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, इस क्षेत्र में अधिकांश पशु देशी नस्ल के है, इसके अतिरिक्त पर्याप्त चारे के अभाव में दुग्ध उत्पादन बढाया जाना सम्भव नहीं है। जिन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन होता भी है, वहां खोया अथवा मॉवा बनाकर दुग्ध पदार्थो, मिष्ठानों से अधिक आय अर्जित कर लेते है।

6:—यह क्षेत्र उद्योग एवं व्यवसायिक दृष्टि से पिछडा हुआ है, क्योंकि उद्योग एवं यातायात की अत्यधिक कमी के कारण रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते है ,जिसके कारण लोगो में उद्योगों के प्रति रूचि का अभाव तथा इस क्षेत्र से षिक्षित/कुषल लोगो का पलायन कर रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्र को चला जाना भी इस क्षेत्र को अधिक पिछड़ेपन की ओर अग्रसर करने में सहायक होता जा

रहा है। यहॅा की भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु एवं वातावरण के अनुसार ऐसे कुटीर उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए जो यहॅा की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार परक हो सके। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न सुझावों पर दृष्टि वितरण, सब्जी उत्पादन एवं बीज विद्यायन सयंत्रों की कुछ न कुछ इकाईयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे उत्पादकों द्वारा अपनी फसल का सही उपज मूल्य प्राप्त किया जा सके। शीत भण्डारों एवं गोदामों का निर्माण, फलों की बीमारियों का निदान तथा अच्छे बीज उत्पादकों को नई विकसित प्रजातियों को विकसित करने हेतु योजनाऐं इस क्षेत्र में सहायक हो सकती है।

3:—चूंकि अधिकाश किसानो के पास जोतों की कमी है, अतः अधिक आय अर्जन हेतु औद्यौगिक नीति को प्रोत्साहन देना चाहिए। बीज एवं खाद के पैकेटों की पूर्ति तथा इनके लाभदायक परिणामों की जानकारी कृषकों को दी जानी चाहिए, जिससे कृषको को अत्यधिक रूप से कृषि पर निर्भर रहकर खाली न बैठना पडे तथा उनका आर्थिक पक्ष भी सबल हो सके।

4:—विद्युत का प्रयोग जीवन में अधिक होने के कारण कुटीर उद्योग हेतु विद्युत का उत्पादन करने तथा कृषि व औद्योगीकरण को बढावा देने के लिए अधिक से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहॅुचाता है, इस क्षेत्र में काफी उपयोगी हो सकता है।

5:—परिवहन एवं यातायात की सेवाओं के अन्तर्गत ऐसी सडकों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक ग्राम सडकों से जुड़ सके। जनसंख्या के आधार पर सडकों का निर्माण प्रत्येक ग्राम को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर सकेगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्रो को जोड़ने वाली सड़को की दशा को भी सुधारा जाना चाहिए, ताकि पर्यटन के साथ—साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके।

6:—पशुधन के विकास के लिए देशी नस्लों से उत्तम जातियॅा प्राप्त करने हेतु उन्नतशील कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पशुओं की उन्नत किस्म की नस्लो के साथ—साथ जनपद की पशुशक्ति में वृद्धि हो सके तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की समस्याओं का भी निदान हो सके। साथ ही ग्रामीण जनता को चारे की उन्नत किस्मों एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने चाहिए।

7:—वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे जनपद की श्रम एवं वन सम्पदा जैसे लीसा लकडी एवं खनिज पदार्थ का दोहन एवं मैदानी क्षेत्रों में न होकर वहीं उद्योगों को विकसित किया जाय तो निर्मित वस्तुओं को यही से निर्यात कर आय अर्जित की जा सकती है जिससे जनपद में रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

8:—स्थानीय उत्पादों पर आधारित कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण जनता को अन्य कार्यो से बचे समय में अतिरिक्त आय हो सके तथा उनका समय सृजनात्मक कार्यो में अधिक लग सके।

9:–जडी बूटियों की पर्याप्त मात्रा इस क्षेत्र में होने के उपरान्त भी इन जडी बूटियों का दोहन पर्याप्त मात्रा में नही हो रहा है। जड़ी बूटियो के उचित दोहन हेतु अनुसन्धान केन्द्रों एवं इकाईयों की स्थापना इस क्षेत्र मे विकास एवं रोजगार की दृष्टि से सुलभ साधन है। इस हेतु अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए।
10:–भौगोलिक प्राकृतिक दृष्टि से अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की भॉति यह जनपद भी प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है। यहॅा रमणीय स्थलों की कमी नहीं है किन्तु पर्यटन हेतु सुविधाओं के अभाव में जनपद के कई पर्यटन स्थल ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीक स्थल विकास से अछूते रह गये है, इन पर्यटन स्थलों में पर्यटन सुविधाऐं नहीं के बराबर है। हिमाचंल प्रदेश की तरह पर्यटन सुविधाओं का विकास कर जनपद की विकासधारा को रोजगार एवं आय अर्जन से जोड़कर आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि बढाने की आवश्यकता है, इससे जनपद का सम्पूर्ण विकास सम्भव है।

अध्याय–27
अन्य विविध

25.1 मनोरंजन:–

जनपद अल्मोड़ा में एक छविगृह जनता के मनोरंजन हेतु उपलब्ध है। अल्मोडा में तथा रानीखेत में खेलकूद स्टेडियम भी उपलब्ध है। मृग विहार योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में एन0टी0डी0 के पास वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें विभिन्न देशों एवं जाति के वन्य जन्तु रखे गये है, जिनमें तेदुऐ, चीतल, सॉभर, काकड़, भालू, तथा सफेद एवं सामान्य बंदर आदि वन्य जन्तु है।

25.2 अग्निशमन केन्द्र:–

जनपद अल्मोडा में दो अग्निशमन केन्द्र अल्मोडा नगर व रानीखेत छावनी क्षेत्र है, जो समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपयोग में लाये जाते है।

25.3 राज्य कर्मचारियों के ऑकडो:–

31 मार्च, 2006 को कुल 12736 राज्य कर्मचारी शिक्षक सहित कार्यरत थे, जिनमें पूर्णकालिक कर्मचारी (शिक्षको सहित)/अल्प समय /कन्टीजेन्सी तथा वर्कचार्ज्ड कर्मचारियो की संख्या सम्मिलित है। बाहरी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत पूर्णकालिक कर्मचारी (शिक्षको सहित)/ अल्प समय/कन्टीजेन्सी तथा वर्कचार्ज्ड कर्मचारियो की कुल संख्या क्रमशः जिला पंचायत में 40, नगरपालिका परिषद में 310, नोटिफाइड एरिया में 12, जल संस्थान में 799 है। राजपत्रित तथा अराजपत्रित शिक्षकों की कुल संख्या 2379 थी।

25.4 आर्थिक गणना:–

षष्ठमं आर्थिक गणना:–2012–13 के अनुसार जनपद अल्मोडा में कुल 26211 (अनन्तिम) उद्यम हैं। जनपद अल्मोड़ा में उद्यमों में सामान्यतः कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 47609 (अनन्तिम) है। कुल वैतनिक व्यक्तियों की संख्या 20871 (अनन्तिम) है।

25.5 विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली:–

वर्ष 2008–09 में जनपद की जिला योजना में 3464.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 3227.85 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 2835.40 लाख रू0 व्यय किया गया।

वर्ष 2009–10 में जनपद की जिला योजना में 3738.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 2850.91 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 2503.18 लाख रू0 व्यय किया गया है।

वर्ष 2012–13 में जनपद की जिला योजना में 5607.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 3247.16 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 3246.17 लाख रू0 व्यय किया गया है।

वर्ष 2013–14 में जनपद की जिला योजना में 5607.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 3330.30 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 3330.30 लाख रू0 व्यय किया गया है। वर्ष 2014–15 में जनपद की जिला योजना में 5468.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 5468.00 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 5468.00 लाख रू0 व्यय किया गया है।